

54

वित्त संबंधी स्थायी समिति  
(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक  
उद्यम तथा निवेश और लोक  
परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग)

अनुदानों की मांगें  
(2023-24)

चौवनवाँ प्रतिवेदन



लोक सभा सचिवालय  
नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944 (शक)

# चौवनवाँ प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति  
(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक  
उद्यम तथा निवेश और लोक  
परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग)

अनुदानों की मांगें  
(2023-24)

२३. मार्च, 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया  
२३ मार्च, 2023 को राज्य सभा के फल पर रखा गया



लोक सभा सचिवालय  
नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944 (शक)

विषय सूची

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| समिति की संरचना..... | पृष्ठ सं.<br>(iii) |
| प्राक्कथन.....       | (v)                |

भाग- एक

पृष्ठ सं.

|                 |   |    |
|-----------------|---|----|
| एक              | प्रस्तावना  | 1  |
| दो              | विभागों का अधिदेश   | 1  |
| तीन             | मांग संख्याओं के संबंध में प्रस्तुत अनुरोध                          | 10 |
|                 | (एक) 38 - भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग                        |    |
|                 | (दो) 39 - ब्याज भुगतान  |    |
|                 | (तीन) 40 - ऋण की पुनर्दायगी   |    |
|                 | (चार) 41 - पेंशन  |    |
|                 | (पांच) 42 - राज्यों को अंतरण  |    |
| चार             | बजटीय आवंटन और अन्य मुद्दे  | 24 |
| <b>भाग - दो</b> |   |    |
|                 | समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें                                       | 41 |
| <b>अनुबंध</b>   |   |    |
|                 | 28.02.2023 और 15.03.2023 को हुई समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश | 47 |

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की संरचना

श्री जयंत सिन्हा – सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
5. डॉ सुभाष रामराव भामरे .
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री गौरव गोगोई
8. श्री सुधीर गुप्ता
9. श्री मनोज कोटक
10. श्री पिनाकी मिश्रा
11. श्री हेमंत पाटिल
12. श्री रवि शंकर प्रसाद
13. श्री नामा नागेश्वर राव
14. प्रो .सौगात राय
15. श्री पी .वी .मिधुन रेड्डी
16. श्री गोपाल शेटी
17. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
18. डॉ) .प्रो (कीरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
19. श्री मनीश तिवारी
20. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
21. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

22. डॉ राधा मोहन दास .अग्रवाल
23. श्री राघव चड्ढा
24. श्री पी .चिदम्बरम
25. श्री दामोदर राव दिवाकोंडा
26. श्री रायगा कृष्णैया
27. श्री सुशील कुमार मोदी
28. डॉ .अमर पटनायक
29. डॉ .सी .एम .रमेश
30. श्री जी .वी .एल .नरसिंहा राव
31. रिक्त

## सचिवालय

- |    |                           |   |               |
|----|---------------------------|---|---------------|
| 1. | श्री सिद्धार्थ महाजन      | - | संयुक्त सचिव  |
| 2. | श्री रामकुमार सूर्यनारायण | - | निदेशक        |
| 3. | श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा  | - | अपर निदेशक    |
| 4. | सुश्री युग्मा मलिक        | - | समिति अधिकारी |

## प्रस्तावना

मैं, वित्त संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह चौवनवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ ।

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन के नियमों के नियम 331ड के अंतर्गत वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) 08 फरवरी, 2023 को सभा पटल पर रखी गई थी।

3. समिति ने दिनांक 01 मार्च, 2023 को वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के संबंध में वांछित सामग्री और सूचना उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद व्यक्त करती है।

4. समिति ने 15 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है ।

नई दिल्ली  
15 मार्च, 2023  
24 फाल्गुन, 1944(शक)

श्री जयंत सिन्हा  
सभापति,  
वित्त संबंधी स्थायी समिति

**प्रतिवेदन  
भाग एक**

**एक. प्रस्तावना**

वित्त मंत्रालय केन्द्र सरकार के वित्त के प्रशासन के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। यह आर्थिक और वित्तीय विषयों से संबंधित है जिनका देश पर समग्र रूप से प्रभाव पड़ता है। यह विकास के लिए संसाधन जुटाता है, केन्द्र सरकार के व्यय को विनियमित करता है तथा राज्यों को संसाधनों के अंतरण संबंधी मामलों पर कार्रवाई करता है। यह आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने, व्यय के लिए प्राथमिकताएं निश्चित करने, बजट के लिए संसदीय अनुमोदन प्राप्त करने तथा निधियों के उपयोग का औचित्य सुनिश्चित करने हेतु अन्य मंत्रालयों/विभागों/, राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों, भारतीय रिज़र्व बैंक, लोक वित्तीय संस्थाओं और अन्य पणधारकों के साथ कार्य करता है। बहुपक्षीय एजेंसियों एवं विदेशी सरकारों के साथ इस मंत्रालय के कार्यनीतिक संबंध होते हैं। यह मंत्रालय निम्नलिखित 13 मांगों को प्रशासित करता है:-

| मांग सं. | विभाग                                 |
|----------|---------------------------------------|
| 30       | आर्थिक कार्य विभाग                    |
| 31       | व्यय विभाग                            |
| 32       | वित्तीय सेवाएं विभाग                  |
| 33       | लोक उद्यम विभाग                       |
| 34       | निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग |
| 35       | राजस्व विभाग                          |
| 36       | प्रत्यक्ष कर विभाग                    |
| 37       | अप्रत्यक्ष कर विभाग                   |
| 38       | भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग     |
| 39       | विनियोग - ब्याज अदायगियां             |
| 40       | विनियोग - ऋण की पुनःअदायगी            |
| 41       | पेंशन                                 |
| 42       | राज्य को अंतरण                        |

1.2. राजस्व विभाग, प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित मांग संख्या यथा 35, 36 और 37 की समिति ने 1998-99 से अलग से जांच की और प्रतिवेदित किया।

दो. आर्थिक कार्य विभाग (मांग संख्या 30), व्यय (मांग संख्या 31), वित्तीय सेवाएं (मांग संख्या 32), लोक उद्यम (मांग सं. 33) एवं निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन (मांग संख्या 34) का अधिदेश

**आर्थिक कार्य विभाग  
मांग संख्या 30**

आर्थिक कार्य विभाग देश की आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार और मॉनिटर करता है। इनका आर्थिक प्रबंधन के आंतरिक और बाहरी पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है। इस विभाग की एक प्रमुख

जिम्मेदारी वार्षिक केन्द्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करना है। आर्थिक कार्य विभाग के पंद्रह मुख्य प्रभाग हैं। प्रभागों के कुछ प्रमुख कार्यों परसंक्षिप्त रूप से निम्नलिखित पैराओं में प्रकाश डाला गया है:-

### **(1) आर्थिक प्रभाग**

2.2 आर्थिक प्रभाग आर्थिक नीति संबंधी महत्वपूर्ण मामलों में सरकार को विशिष्ट सलाह देता है। यह प्रभाग घरेलू और वैदेशिक आर्थिक घटनाक्रम पर नजर रखता है और कृषि उद्योगतथा अर्थव्यवस्था में अवसंरचना क्षेत्र समेत वृहद् प्रबंधन से संबंधित नीतिगत उपायों पर सलाह-देता है। अपने नियमित कार्यकलाप के रूप में, आर्थिक प्रभाग वार्षिक आर्थिक समीक्षा तैयार करता है, जो केंद्र सरकार के बजट प्रस्तुत किए जाने से एक दिन पूर्व संसद की दोनों सभाओं में प्रस्तुत की जाती है।

2.3 आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण घटनाओं की व्यापक समीक्षा की जाती है। इसमें हाल की आर्थिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण तथा नीतियों का गहन मूल्यांकन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 के अनुसार, वित्त मंत्रालय से अपेक्षा की जाती है कि बजट के संबंध में प्राप्तिओं और व्यय की प्रवृत्तियों की प्रत्येक तिमाही में समीक्षा करे और इसे संसद की दोनों सभाओं के समक्ष रखे। इसके अतिरिक्त, आर्थिक प्रभाग पहली और तीसरी तिमाही की समाप्ति पर एक वृहत्आर्थिक पूर्वपीठिका विवरण तैयार करता है और तिमाही - प्राप्तिओं और व्यय की पुनरीक्षा में अंतर्विष्ट करने के लिए इसे बजट प्रभाग को उपलब्ध कराता है।

2.4 आर्थिक प्रभाग केंद्र सरकार के बजट का आर्थिक और कार्यात्मक वर्गीकरण भी प्रकाशित करता है जो संसद के माननीय सदस्यों को परिचालित किया जाता है।

### **(2) बजट प्रभाग**

2.5 बजट प्रभाग केंद्रीय सरकार तथा राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्यों की सरकारों के वार्षिक बजट, अनुदानों की पूरक मांगे और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें तैयार करने तथा उन्हें संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। यह प्रभाग लोक ऋण, केंद्रीय सरकार के बाजार ऋणों, राज्य सरकारों द्वारा लिए और दिए गए उधारों, भारत सरकार द्वारा दी गई गारंटियों तथा भारत की आकस्मिकता निधि से संबद्ध मामलों का निपटान करने के लिए भी जिम्मेदार है। इस प्रभाग का उत्तरदायित्व उस अनुदान जहां वित्त मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है, में बचतों के पुनर्विनियोजन के लिए अन्य मंत्रालयों / विभागों से प्राप्त प्रस्तावों पर कार्रवाई कर के सरकारी व्यय के प्रवाह को विनियमित करने का भी है। यह प्रभाग राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई) तथा लघु बचत योजनाओं, राष्ट्रीय रक्षा निधि से संबंधित मामलों को भी देखता है। कोषाध्यक्ष, धर्मार्थ निधि से संबंधित कार्य भी बजट प्रभाग द्वारा किया जाता है।

### **(3) वित्तीय बाजार प्रभाग**

2.6 नीतिगत घटनाक्रम

(क) प्राथमिक बाजार अनुभाग



निवेशक हितैषी प्रतिभूति बाजार के विकास और सुदृढीकरण के लिए सरकार विनियामक के परामर्श से अनेक कायापलट करने वाले कदम उठाती रही है:

(ख) द्वितीयक बाजार अनुभाग

एक. स्टाम्प शुल्क सुधार – भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 में संशोधन

(ग) पण्य व्युत्पन्न अनुभाग

एक. एकीकृत एक्सचेंज

2.7 मध्यवर्तियों /ब्रोकर्स के स्तर पर, वस्तु व्युत्पन्न बाजार का इक्विटी बाजार के साथ एकीकरण करने की अनुमति देने के बाद, अक्टूबर, 2018 से एक्सचेंजों के स्तर पर एकीकरण की व्यवस्था की गई है। बीएसई ने अभी तक सोना, चांदी, कच्चे तेल, तांबा, ग्वार गम, ग्वार बीज और कपास के लिए वस्तु व्युत्पन्न संविदा देना शुरू कर दिया है और एनएसई ने सोना, चांदी और कच्चे तेल के लिए संविदा देना शुरू कर दिया है।

#### (4) वित्तीय स्थिरता एवं साइबर सुरक्षा

2.8 वित्तीय स्थिरता को कायम रखने के लिए तंत्र के सुदृढीकरण और सांस्थानीकरण, अंतर-विनियामक समन्वयन का संवर्धन करने और वित्तीय स्थायित्व विकास को बढ़ावा देनेके उद्देश्य से, सरकार ने एक शीर्ष स्तरीय निकायवित्तीय स्थिरता और विकास परिषद- (एफएसडीसीका दिसम्बर (, 2010 में गठन किया। परिषद के अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं। इसके सदस्यों में आर्थिक कार्य विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री, वित्तीय क्षेत्र विनियामकों के प्रधान अधिकारी और भारत सरकार के चुनिंदा मंत्रालयों /विभागों के सचिव शामिल हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, तारीख 23 मई, 2018 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा, एफएसडीसी की सदस्यता में विस्तार किया गया है और )i) आर्थिक कार्य विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री; (ii) सचिव, राजस्व विभाग (डीओआर); तथा )iii) सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाईको ( भी शामिल किया गया है।

#### (5) वित्तीय क्षेत्र सुधार और विधायी प्रभाग

2.9 वित्तीय क्षेत्र के कानूनों को वर्तमान अपेक्षाओं के अनुरूप बनाने की दृष्टि से उनका पुनर्लेखन करने के लिए 24 मार्च, 2011 को वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (एफएसएलआरसीका गठन किया गया ( था। इसने सरकार को अपनी रिपोर्ट 22 मार्च, 2013 को प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट के दो भाग हैं। -खंड : "विश्लेषण और संस्तुतियां" शीर्षकतथा खंड-॥ -मसौदा भारतीय वित्त संहिता समावेशित (आईएफसी) ।"विधि-मसौदा" शीर्षकआयोग ने, अन्य बातों के साथसाथ-, बेहतर अभिशासन और उत्तरदायित्व के लिए जहां कहीं आवश्यक हो मौजूदा विनियामक एजेंसियों की पुनर्संरचना करके और नई एजेंसियों का सृजन करके, वित्तीय क्षेत्र के लिए गैरक्षेत्रीय-, सिद्धान्त आधारित विधायी संरचना की-संस्तुति की थी।

#### (6) अवसंरचनागत नीति और योजना प्रभाग

2.10 इस प्रभाग में निम्नलिखित इकाइयां हैं अवसंरचना वित्त -इन्फ्रा)फिन(, अवसंरचना नीति और कार्यक्रम (आईसीसी), ऊर्जा क्षेत्र नीति और कार्यक्रम और सरकारी (ईएसपीपी)निजी भागीदारी (पीपीपी), भारत में विधि का शासन। इसके अलावा, आर्थिक अपराध के ऐसे कई मामले हैं जिनमें बैंक ऋण का भुगतान नहीं करना शामिल है जिससे भारत में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति और दयनीय हो गई है। इस समस्या की गंभीरता से निपटने में पूर्व विद्यमान-सिविल और अपराधिक उपबंध अपर्याप्त हैं।

### **(7) निवेश और डिजिटल अर्थव्यवस्था प्रभाग**

2.11 'विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड' के समापन और समन्वय संबंधी कार्य उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग तरित किए जाने से लेकर एफडीआई नीतिसंबंधी स्पष्टीकरणों को स्थानां (डीपीआईआईटी) और उनसे संबंधित मामलों, आर्थिक कार्य विभाग को सौंपे गए "अन्य वित्तीय सेवाएं क्षेत्र के विशिष्ट संदर्भ में, के अतिरिक्त, विदेशी निवेश नीतियों के संबंध में नीतिगत सहायता प्रदान करने के लिए इस अनुभाग के कार्य का आकार छोटा कर दिया गया है। मूल रूप से, यह अनुभाग विदेशी निवेश से संबंधित मुद्दों पर डीपीआईआईटी के साथ समन्वय करता है और भारतीय अर्थव्यवस्था की जरूरत के मुताबिक एफडीआई नीति में किसी संशोधन के संबंध में टिप्पणियां /सुझाव भी देता है। यह एफडीआई नीति के संदर्भ में भारत में निवेश संबंधी माहौल को बेहतर बनाने के लिए उपाय भी सुझाता है। यह अनुभाग एफडीआई संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करते समय वित्तीय सेवाएं विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, सेवी, पीएफआरडीए, आईआरडीएआई, आदि से जानकारी भी लेता है।

### **(8) प्रशासन प्रभाग**

2.12 प्रशासन प्रभाग कार्मिक और कार्यालय प्रशासन, सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन, सहायता अनुदान, सार्वजनिक शिकायतों की सुनवाई, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, रिकार्ड प्रबंधन अनुसूची, महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न पर शिकायत समिति आदि हेतु उत्तरदायी है।

### **(9) सिक्का एवं करेंसी प्रभाग -करेंसी अनुभाग**

2.13 करेंसी नोटों /बैंक नोटों के डिजाइन, रूप और सामग्री से संबंधित सभी नीतिगत मुद्दे और मामले जिसमें सुरक्षा विशेषताएं, करेंसी नोटों की छपाई की उत्पादन योजना और अन्य सुरक्षा दस्तावेज शामिल हैं। अन्य में करेंसी से संबंधित कानून, बैंक नोट उत्पादन वस्तुओं का स्वदेशीकरण, बैंक नोटों की छपाई की सामग्री की आपूर्ति के संबंध में वितरण /शिकायत और अन्य सुरक्षा उत्पाद, विस्तार प्रेस का उन्नयन और आधुनिकीकरण, पेपर मिल्स, इंकफैक्ट्री, डाक टिकट राजस्व स्टाम्प, एनजेएसपी, पासपोर्ट बैंक नोट्स और डाक टिकटों, सीडब्ल्यूबीएन /सुरक्षा कागज और करेंसी सम्मेलन आदि शामिल हैं। इसके अलावा, देश के विभिन्न हिस्सों में मुद्रा की निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष के रूप में सचिव (आ (का. को (आई.बी.आर) और डिप्टी गवर्नर (डीएफएस) रूप में सचिव और सदस्य केमिलाकर एक कार्य बल समिति का गठन 14 अप्रैल, 2018 को किया गया था।

### **(10) बीसी एवं एसएफ प्रभाग**

2.14 संयुक्त राष्ट्र उप प्रभाग बीसी और एफएस प्रभाग के अंतर्गत आता है। यह संयुक्त-राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ), हरित जलवायु कोष (जीसीएफ), और सस्टेनेबल फाइनेंस के अलावा संयुक्त राष्ट्र के समन्वय संबंधी कार्य को देखता है। संयुक्त राष्ट्र उप प्रभाग से इन संस्थाओं के प्रबंधन और शासन के मामलों में कार्यनीतिक दिशा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

**व्यय विभाग**  
**मांग संख्या 31**

2.15 व्यय विभाग, केन्द्र सरकार में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और राज्य वित्त से संबंधित मामलों की निगरानी के लिए नोडल विभाग है। यह विभाग वित्त आयोग और केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन, लेखापरीक्षा टिप्पणियों /अभ्युक्तियों की मॉनीटरिंग, केन्द्र सरकार के लेखे तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह सार्वजनिक सेवाओं की लागत एवं मूल्यों के नियंत्रण और सार्वजनिक व्यय के इष्टतम निर्गमों और परिणामों के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने में केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों की सहायता भी करता है। इस विभाग के प्रमुख कार्यकलापों में वित्त सलाहकारों के साथ इंटरफेस के माध्यम से केन्द्रीय मंत्रालयों /विभागों में व्यय प्रबंधन पर निगरानी रखना और वित्तीय नियमों /विनियमों आदेशों का प्रशासन, प्रमुख स्कीमों /परियोजनाओं का संस्वीकृतपूर्व मूल्यांकन-, राज्यों को अंतरित अधिकांश केन्द्रीय बजट संसाधनों का प्रबंधन शामिल है।

2.16 व्यय विभाग को आबंटित कार्य इसके कार्मिक एवं स्थापना प्रभाग, लोक वित्त राज्य और-लोक वित्त केन्द्रीय-प्रभागों, मुख्य सलाहकार लागत का कार्यालय, महालेखा नियंत्रक और केन्द्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के माध्यम से किए जाते हैं। अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), फरीदाबाद, जो एक स्वायत्त निकाय है, इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

## वित्तीय सेवाएं विभाग

### मांग संख्या 32

2.17 कार्य आवंटन नियमावली के अनुसार (एओबीआर), वित्तीय सेवाएं विभाग के कार्यों में, अन्य बातों के साथसाथ- बैंकिंग, बीमा, पेंशन सुधार, विकास वित्त संस्थान आदि शामिल हैं। वित्तीय सेवाएं विभाग भारत में बैंकिंग क्षेत्र, बीमा क्षेत्र तथा पेंशन क्षेत्र से संबंधित कई मुख्य कार्यक्रमों /पहलों तथा सुधारों की निगरानी करता है। विभाग द्वारा इस समय चलाई जा रही मुख्य योजनाओं में प्रधानमंत्री जन धन योजना-अप इंडिया-स्टैण्ड (वाईपीएमजेडी), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई/पीएमएमवाई) प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (, अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और प्रधानमंत्री वय वन्दना योजना सरकारी क्षेत्र के शामिल हैं। यह विभाग (पीएमपीवीवाई) बैंकों (पीएसबी), सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों और वित्तीय संस्थानों जैसे नाबाई (पीएसआईसी), सिडवी, एनएचबी, आईएफसीआई, एक्जिम, आईआईएफसीएल आदि को नीतिगत दिशा-निर्देशों, विधायी तथा अन्य प्रशासनिक परिवर्तनों में नीतिगत सहायता उपलब्ध कराता है। यह इन पीएसबी, पीएसआईसी तथा एफआई के कार्य निष्पादन की भी निगरानी करता है और भारत में बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र के संबंध में नीति तैयार करने का कार्य करता है।

2.18 वित्तीय सेवाएं विभाग संबंधित विनियामकीय निकायों जैसे भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए के विधिक तथा ( अन्य मामलों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध (आरबीआई) में कुछेक विधायी मामलों के संबंध में भी कार्रवाई करता है।

2.19 उपर्युक्त नीतिगत मामलों के अलावा, यह विभाग संबंधित विनियामकीय निकायों (आरबीआई, इरडाई तथा पीएफआरडीए तथा पीएसबी (, पीएसआईसी तथा वित्तीय संस्थानों के कार्य संचालन संबंधी कुछेक मामलों के लिए भी उत्तरदायी है। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्य संचालन संबंधी मामला भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर / डिप्टी गवर्नर इरडाई तथा पीएफआरडीए के अध्यक्ष / सदस्य, सरकारी क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एंड सीईओ), कार्यपालक निदेशक (ईडी), अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक (सीएमडी), जैरो मुख्य कार्यपालकों को नियुक्त करना है। यह विभाग अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग संबंधों से संबंधित मामलों में भी कार्रवाई करता है।

लोक उद्यम विभाग

2.20 अपनी 52वीं रिपोर्ट में, तीसरी लोकसभा (1962-67) की प्राक्कलन समिति ने एक केन्द्रीकृत समन्वय यूनित के गठन की जरूरत पर बल दिया जो लोक उद्यमों के कार्य दननिष्ठा-का निरन्तर मूल्यांकन कर सके। इसके फलस्वरूप वर्ष 1965 में वित्तमंत्रालय में सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (बीपीई) की स्थापना की गई। तदुपरांत, सितम्बर 1985 में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों विभागों/का पुनर्गठन होने पर, बीपीई को 'लोक उद्यम विभाग' (डीपीई के रूप में एक (पूर्ण विभाग बना दिया गया। उस समय इसे उद्योग मंत्रालय का हिस्सा बना दिया गया। वर्तमान में, यह वित्त मंत्रालय का हिस्सा है।

2.21 लोक उद्यम विभाग सभी केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) का नोडल विभाग है और सीपीएसईज़ से संबंधित नीतियां तैयार करता है। यह विशेष रूप से, सीपीएसईज़ में निष्पादकता के सुधार एवं मूल्यांकन, स्वायत्तता तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और कार्मिक प्रबंधन के बारे में नीतिगत दिशानिर्देश तैयार करता है। इसके अतिरिक्त, यह केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों से संबंधित कई प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जानकारी का संग्रहण और अनुरक्षण करने का कार्य भी करता है।

2.22 सरकार के कारोबार आबंटन नियमों के अनुसार, डीपीई को निम्नलिखित विषय आबंटित किए गए हैं -

1. औद्योगिक प्रबंधन पूल सहित पूर्व लोक उद्यम ब्यूरो से संबंधित शेष कार्य।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को प्रभावित करने वाले सामान्य नीति के मामलों का समन्वयन।
3. समझौता ज्ञापन प्रणाली सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन का मूल्यांकन और निगरानी।
4. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए मध्यस्थता की स्थायी मशीनरी से संबंधित मामले।
5. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत केन्द्रीय सरकारी लोक उपक्रमों में कर्मचारियों को परामर्श, पुनः प्रशिक्षण देना और पुनर्वास करना।
6. सीपीएसईज़ में पूंजीगत परियोजनाओं और व्यय की समीक्षा।
7. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की निष्पादकता में सुधार करने के लिए उद्दिष्ट उपाय और लोक उद्यमों की अन्य क्षमता निर्माण पहलें।
8. सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनरूद्धार, पुनर्गठन या उन्हें बंद करने के लिए तंत्र सहित इस संबंध में सलाह देना।
9. लोक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन से संबंधित मामले।
10. लोक उद्यमों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (आईसीपीई) से संबंधित मामले।
11. केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को 'रल' का दर्जा दिए जाने सहित उनका श्रेणीकरण।
12. लोक उद्यमों का सर्वेक्षण।

## निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

### मांग संख्या 34

2.23 विनिवेश विभाग की स्थापना 10 दिसम्बर, 1999 को एक अलग विभाग के रूप में की गई थी और बाद में 06 सितम्बर, 2001 से इसका नाम बदलकर विनिवेश मंत्रालय कर दिया गया था। 27 मई, 2004 से विनिवेश विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है।

2.24 दिनांक 14 अप्रैल, 2016 से विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) कर दिया गया है।

एक. कृत्य

2.25 मौजूदा कार्य आबंटन नियमावली के अनुसार विभाग हेतु शासनादेश इस प्रकार है:-

- (1) (क) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केन्द्र सरकार के निवेश के प्रबंधन से संबंधित सभी मामले।  
(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूर्ववर्ती उपक्रमों में बिक्री की पेशकश या निजी नियोजन या किसी अन्य पद्धति माध्यम से केन्द्र सरकार की इक्विटी की बिक्री से संबंधित मामले।  
टिप्पणी: केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के पूर्ववर्ती उपक्रमों में सामरिक भागीदार द्वारा क्रय विकल्प का उपयोग करने से संबंधित और उससे उत्पन्न मामलों सहित विनिवेश के बाद के अन्य सभी मामलों पर जहां आवश्यक हो, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के परामर्श से, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय या विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती रहेगी।
- (2) सामरिक विनिवेश सहित विनिवेश के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों, नीति आयोग आदि की सिफारिशों पर निर्णय लेना।
- (3) विनिवेश तथा लोक परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए स्वतंत्र बाह्य मॉनीटर (रों) से संबंधित सभी मामले।
- (4) (क) इक्विटी में सरकारी निवेश के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में निर्णय लेना जैसे कि पूंजी पुनर्गठन बोनस, लाभांश, सरकारी इक्विटी का विनिवेश तथा अन्य संबंधित मुद्दे।  
(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय पुनर्गठन के मामलों में तथा पूंजी बाजारों के माध्यम से निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार को सलाह देना।
- (5) भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) के साथ-साथ भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूटीआई) से संबंधित विषय।

तीन. माँग सं. 38, 39, 40, 41 तथा 42 के संबंध में प्रस्तुत अनुरोध

माँग संख्या 38

भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग

भारत के संविधान में विधायिका के प्रति कार्यकारिणी की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के निमित्त देश के लेखापरीक्षक के रूप में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को अधिदेशित किया गया है। आईए एंड एड) भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभागीय के लेखापरीक्षण नियंत्रक एवं महालेखापरीक्ष (95 और लेखांकन अधिदेश को कार्यान्वित करता है। इस विभाग के अधीन लेखापरीक्षा कार्यालय; 32 लेखा एवं हकदारी 41621 न है जिनमें प्रशिक्षण संस्था 13 कार्यालय तथा (ले एवं हक) कर्मचारी कार्यरत हैं। लेखापरीक्षा कार्यालयों को संघ की नीय सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्य सरकारों तथा स्थाराज्य/सरकारों के जीपीएफ और पेंशन तथा संबद्ध लेखा तथा हकदारियों को लेखापरीक्षा करने तथा राज्य अधिकृत करने का कार्य भी सौंपा गया है। संवैधानिक अधिदेश को पूरा करने के लिए लेखापरीक्षा कार्यालयों के फ को दौरे पर रहना प्रतिशत स्टा 05 फ के और सिविल लेखा स्टा फ को प्रतिशत स्टा 75 पड़ता है।

3.2 वर्ष 2018-19 से वास्तविक व्यय के साथसाथ बजट अनुमानों-, संशोधित अनुमानों में अनुमोदित प्रावधान को दर्शाने वाला विवरण।

अनुदान सं. 38 - भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग

(में .राशि करोड़ रु)

| वर्ष    | बजट अनुमान (सकल) | संशोधित अनुमान (सकल) | बचतों का अभ्यर्पण | व्यय    |
|---------|------------------|----------------------|-------------------|---------|
| 2023-24 | 6183.03          | -                    | --                | -       |
| 2022-23 | 5976.56          | 6003.81              | --                | --      |
| 2021-22 | 5434.92          | 5464.92              | 80.19             | 5366.86 |
| 2020-21 | 5433.28          | 5086.62              | 365.72            | 5043.15 |
| 2019-20 | 5025.91          | 5118.02              | 9.48              | 5108.36 |

संशोधित अनुमान 2022-23 और बजट अनुमान 2023-24 का ब्योरा

( करोड़ रूपये में)

| वर्ष    | राजस्व (सकल) |          |         | पूँजीगत | अनुदान कुल (सकल) | % वृद्धि |
|---------|--------------|----------|---------|---------|------------------|----------|
|         | वेतन         | गैर-वेतन | कुल     |         |                  |          |
| 2022-23 | 4972.42      | 873.18   | 5845.60 | 158.21  | 6003.81          |          |
| 2023-24 | 3062.84      | 2977.43  | 6040.27 | 142.76  | 6183.03          | 2.99%    |

संशोधित अनुमान 2022-23 से 2023-24 में 2.99% की मानक वृद्धि हुई है।

3.3 वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-के लिए अनुमोदित बजट 24 -: अनुमानों की स्थिति इस प्रकार है

भाग एक -

3.4 (1) मुख्य शीर्ष 2016 :- लेखापरीक्षा

(हजार रुपये में)

| राजस्व विभाग |          |          |          |                   |
|--------------|----------|----------|----------|-------------------|
| वर्ष         | पारित    | प्रभारित | योग      | वृद्धि का प्रतिशत |
| 2023-24      | 57766000 | 26367689 | 60402689 | 1.07%             |



|                |          |         |          |        |
|----------------|----------|---------|----------|--------|
| <b>2022-23</b> | 57474900 | 2290700 | 59765600 | 10.47% |
| <b>2021-22</b> | 52099700 | 2000000 | 54099700 | -0.10% |
| <b>2020-21</b> | 52288200 | 1864600 | 54152800 | 8.09%  |
| <b>2019-20</b> | 48322200 | 1776900 | 50099100 |        |

कुल अनुदान स्थापना से संबंधित व्यय के लिए है।

(2) मुख्य शीर्ष :4059यलोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्य-

(हजार रुपये में)

| वर्ष           | दत्तमत | भारित | योग    | वृद्धि का प्रतिशत |
|----------------|--------|-------|--------|-------------------|
| <b>2023-24</b> | 200000 | -     | 200000 | 33.33%            |
| <b>2022-23</b> | 150000 | -     | 150000 | 7.14%             |
| <b>2021-22</b> | 140000 | -     | 140000 | 55.55%            |
| <b>2020-21</b> | 90000  | -     | 90000  | 12.50%            |
| <b>2019-20</b> | 80000  | -     | 80000  | -                 |

\*वर्ष 2021-22 में वृद्धि भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के कार्यालय भवनों के प्रमुख नवीनीकरण कार्यों के प्रावधान के कारण हुई है।

(3) मुख्य शीर्ष :4216 – आवास पर पूंजी परिव्यय

(हजार रुपये में)

| वर्ष           | दत्तमत | भारित | योग    | वृद्धि का प्रतिशत |
|----------------|--------|-------|--------|-------------------|
| <b>2023-24</b> | 100000 | -     | 100000 | 11.11%            |
| <b>2022-23</b> | 90000  | -     | 90000  | -17.80%           |
| <b>2021-22</b> | 109500 | -     | 109500 | 21.67%            |
| <b>2020-21</b> | 90000  | -     | 90000  | 12.50%            |
| <b>2019-20</b> | 80000  | -     | 80000  | -                 |

### मांग संख्या 39

#### ब्याज भुगतान

3.5 विनियोग112 ब्याज भुगतान में शामिल संपूर्ण व्यय भारत के संविधान के अनुच्छेद-(3) (गके ( पर (सीएफआई) "भारत की समेकित निधि" दर्भ मेंसं"भारित" है। विनियोग में केंद्र सरकारों के आंतरिक तथा विदेशी, दोनों ऋण बाध्यताओं पर ऋण शोधनछूट प्रभारों की व्यवस्था है। इसमें भविष्य निधियों जैसे / सार्वजनिक खातों पर देय ब्याज के प्रावधान, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां, मूल्यहास

तथा रेलवे जैसे वाणिज्यिक विभागों की अन्य प्रारक्षित निधियों के अलावा सरकार के पास विशेष जमा राशियां, केंद्र सरकार की ऋण और अन्य देनदारियों के प्रबंधन के लिए प्रावधान भी शामिल हैं।

3.6. 2019-20 से 2021-22 के दौरान किए गए वास्तविक व्यय और 2022-23 तथा 2023-24 के अनुमान नीचे सारणी (सकल और निवल आधार पर) में दिए गए हैं:

| तालिका: विनियोग संख्या 37- ब्याज भुगतान |            |  |                |  |                   |   |
|---|------------|--|----------------|--|-------------------|---|
| वर्ष                                    | बजट अनुमान | पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धिकमी / की प्रतिशतता | संशोधित अनुमान | पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धिकमी की / प्रतिशतता | (करोड़ रुपये में) |   |
|   |            |  |                |  | वास्तविक          | पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी की प्रतिशतता |
| <b>सकल आधार पर</b>                      |            |  |                |  |                   |   |
| 2019-20                                 | 673470.60  | 13.99  | 663297.18      | 10.55  | 655372.01         | 10.04   |
| 2020-21                                 | 733203.16  | 8.87   | 732987.16      | 10.51  | 720985.20         | 10.01   |
| 2021-22                                 | 847195.79  | 15.55  | 837186.70      | 14.22  | 828259.85         | 14.88   |
| 2022-23                                 | 970003.67  | 14.50  | 984073.58      | 17.55  |                   |   |
| 2023-24                                 | 1113971.00 | 14.84  |                |  |                   |   |
| <b>निवल आधार पर</b>                     |            |  |                |  |                   |   |
| 2019-20                                 | 660470.60  | 14.71  | 625105.23      | 8.56   | 612070.02         | 5.05  |
| 2020-21                                 | 708203.16  | 7.23   | 692900.00      | 10.85  | 679868.58         | 11.08   |
| 2021-22                                 | 809701.32  | 14.33  | 813791.00      | 17.45  | 805499.15         | 18.48   |
| 2022-23                                 | 940651.02  | 16.17  | 940651.02      | 15.59  |                   |   |
| 2023-24                                 | 1079971.00 | 14.81  |                |  |                   |   |

3.7 विनियोग ब्याज भुगतान में-केंद्र सरकार की प्राप्तियों और भुगतान के बीच अल्पकालिक असंतुलन को पूरा करने के लिए आरबीआई से प्राप्त अर्थोपाय अग्रिमओडी पर ब्याज की अदायगी/, नकद प्रबंधन हुंडियों (सीएमबी), आरबीआई को ऋण प्रभारों का प्रबंधन, 14 दिवसीय मध्यावधिक राजकोषीय हुंडियों पर छूट प्रभार (आईटीबी), नीलामी राजकोषीय हुंडियों का प्रावधान शामिल हैं। (एटीबी)

3.8 संशोधित अनुमान 2022-23 में यह प्रावधान विभिन्न लेखा शीर्षों के तहत 21472.21 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता और कुछ अन्य लेखा शीर्षों में 7402.30 करोड़ रुपये की कम आवश्यकता का निवल परिणाम है। 14069.91 करोड़ रुपये का निवल उच्चतर प्रावधान मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2022-23 में दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करने पर अर्जित उच्चतर अर्जित ब्याज और प्रीमियम के साथ निर्धारित दिनांकित प्रतिभूतियों के प्रतिफल में वृद्धि के कारण है। बजट अनुमान 2023-24 में वर्ष 2022-23 में जारी प्रतिभूतियों पर पूरे वर्ष के ब्याज के साथ साथ-वर्ष 2023-24 में नई उधारी और दिनांकित प्रतिभूतियों में वृद्धि के कारण और अधिक प्रावधान किया गया है।

**मांग संख्या 40**  
**ऋण की पुनर्दायगी**

3.9 इस विनियोग 'ऋण की पुनर्दायगी' में केंद्रीय सरकार द्वारा जुटाए गए ऋण तथा अलग-अलग - परिपक्वता अवधि की राजकोषीय हंडियों के उन्मोचन, नकद प्रबंधन हंडियों, अर्धोपाय अग्रिमों आदि के अनुसूचीबद्ध पुनर्भुगतानों के उपबंध शामिल हैं। यह विनियोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 112(3) (ग) के संदर्भ में भारत के समेकित निधि पर 'भारित' है।

3.10 वर्ष में राजकोषीय घाटा पुनर्दायगी तथा नकदी के कम आहरण को घटाकर विभिन्न स्रोतों से उधार के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है। राजकोषीय घाटा व्यवस्था में, पुनर्दायगी संबंधी बाध्यताओं को नए उधार से पूरा किया जाता है। अनुदान की मांग संख्या 40 -विनियोग - 'ऋण की पुनर्दायगी' का विश्लेषण अर्थात् 20-2019 से -202223 के दौरान वर्ष /वार वृद्धि-कमी का प्रतिशत निम्नवत् है: -

| <b>सारणी: विनियोग संख्या ऋणों की पुनर्दायगी - 40</b><br>(करोड़ रुपये में) |            |  |                |  |            |  |
|---|------------|--|----------------|--|------------|--|
| वर्ष  | बजट अनुमान | पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धिकमी / का प्रतिशत | संशोधित अनुमान | पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धिकमी / का प्रतिशत | वास्तविक   | पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धिकमी / का प्रतिशत |
| <b>मुख्य शीर्ष-6001 आंतरिक ऋण -</b>                                       |            |  |                |  |            |  |
| 2019-20   | 5947825.09 | -1.78  | 6312279.00     | 2.47   | 6292657.87 | 4.28   |
| 2020-21   | 6853533.56 | 15.23  | 6446475.92     | 2.13   | 6149919.96 | -2.27  |
| 2021-22   | 6903225.48 | 0.73   | 6026553.64     | -6.51  | 6609686.17 | 7.48   |
| 2022-23   | 7034456.86 | 1.90   | 7235128.71     | 20.05  | -          | -  |
| 2023-24   | 8824692.71 | 25.45  | -              | -  | -          | -  |
| <b>मुख्य शीर्ष-6002 विदेशी -ऋण</b>  |            |  |                |  |            |  |
| 2019-20   | 35363.00   | 20.06  | 34110.00       | 8.84   | 33890.91   | 10.25  |
| 2020-21   | 37388.00   | 5.73   | 35234.00       | 3.30   | 34715.36   | 2.43   |
| 2021-22   | 40926.00   | 9.46   | 36024.10       | 2.24   | 35782.23   | 3.07   |
| 2022-23   | 40610.30   | -0.77  | 39882.90       | 10.71  | -          | -  |
| 2023-24   | 45656.00   | 12.42  | -              | -  | -          | -  |

3.11 इस विनियोग में अर्धोपाय अग्रिमों, आरबीआई से जमा रकम से अधिक की निकासी सहित नकद प्रबंधन हंडियों की उन्मुक्ति के लिए प्रावधान शामिल हैं। ये अल्पावधिक निधियां हैं जो मुख्य रूप से सरकार की प्राप्तियों और व्यय के बीच वर्ष के भीतर उत्पन्न असंतुलन को पूरा करने के लिए प्राप्त की गई। 14 दिवसीय मध्यावधि राजकोषीय हंडियां राज्य सरकारों को अपने अल्पकालिक अधिशेष धन (आईटीबी) को निवेश करने के लिए एक अवसर प्रदान करते हैं। राज्य सरकारों के नकदी प्रवाह और नकदी अधिशेष का सही आकलन करने में कठिनाइयों को देखते हुए, इस विनियोग के तहत निधियों की आवश्यकता का

आकलन सटीकता के साथ नहीं किया जा सकता है। इस विनियोग में किसी भी अंतर से व्यय बजट प्रभावित नहीं होता है।

3.12 मध्यवर्ती ट्रेजरी बिलों )14 दिन के टी बिलोंमें प्रत्याशित उच्च पुनर्भुगतान के कारण संशोधित ( अनुमान2022-23 में 199944.45 करोड़ रुपये के उच्च निवल प्रावधान की मांग की गई है, जिसमें राज्य सरकारें अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए अपनी अधिशेष निधि को पार्क कर रही हैं और परिपक्वता से पहले ही इसे वापस ले रही हैं। बाह्य ऋण पुनर्भुगतान में ₹ 727.40 करोड़ की बचत हुई है।

3.13 बजट अनुमान 2023-24 में आईटीबी )8.90 लाख करोड़ रुपये(, वेज एंड मीन्स एडवांस )4.42 लाख करोड़ रुपये(, सीएमबी )1.00 लाख करोड़ रुपये(, टी बिल )0.75 लाख करोड़ रुपये(, दिनांकित प्रतिभूतियों का मोचन )1.27 लाख करोड़ रुपये(, एनएसएसएफ को जारी प्रतिभूतियों का मोचन )1.27 लाख करोड़ रुपये प्रवाह और बहिर्वाह के कारण संशोधित अनुमानमें उच्च (2022-23 की तुलना में 16.73 लाख करोड़ रुपये के अधिक प्रावधान की मांग की गई है।

**मांग संख्या 41**

**पेंशन**

3.14 अनुदान सं .41 - पेंशन केंद्रीय नागरिक पेंशन भुगतान से संबंधित एक संयुक्त अनुदान है। बजट अनुमान विभिन्न सिविल मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त व्यय के अनुमानों और सीपीएओ द्वारा निर्धारित किए गए / य की प्रवृत्ति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।व्य

**अनुदान सं. 41 - पेंशन**  
(पिछले तीन वर्षों में शीर्षों में प्रतिशत भिन्नता(

(करोड़ रुपए में)

| वर्ष    | प्रमुख शीर्ष                         | बजट अनुमान      | संशोधित अनुमान  | वास्तविक व्यय          | संशोधित अनुमान (पिछला ) (वर्ष) | पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी (-) (कालम 4-6) | प्रतिशत वृद्धि कालम 7x100 कालम 6 |
|---------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|--|----------------------------------|
| 1       | 2                                    | 3               | 4               | 5                      | 6                              | 7  | 8                                |
| 2020-21 | 2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 62124.90        | 63106.48        | 62780.47               | 51510.50                       | (+)11595.98  | (+)22.51                         |
|         | 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण      | 44.45           | 44.45           | 39.75                  | 54.50                          | (-)10.05   | (-)18.44                         |
|         | <b>कुल</b>                           | <b>62169.35</b> | <b>63150.93</b> | <b>62820.22</b>        | <b>51565.00</b>                | <b>(+)11585.93</b>                                   | <b>(+)22.46</b>                  |
| 2021-22 | 2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 56828.14        | 63960.14        | 64635.63               | 63106.48                       | (+)853.66  | (+)1.35                          |
|         | 2235- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण      | 44.98           | 44.98           | 49.25                  | 44.45                          | (+)0.53  | (+)1.19                          |
|         | <b>कुल</b>                           | <b>56873.12</b> | <b>64005.12</b> | <b>64684.88</b>        | <b>63150.93</b>                | <b>(+)854.19</b>                                     | <b>(+)1.35</b>                   |
| 2022-23 | 2071- पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 66790.61        | 68289.80        | 54072.10 upto Dec,2022 | 63960.14                       | (+)4329.66   | (+)6.77                          |
|         | 2235- सामाजिक सुरक्षा और             | 50.20           | 50.20           | 24.81 upto Dec,202     | 44.98                          | (+)5.22  | (+)11.61                         |

|             |   |              |              |                                   |          |                |         |
|-------------|---|--------------|--------------|-----------------------------------|----------|----------------|---------|
|             | कल्याण  |              |              | 2                                 |          |                |         |
|             | कुल   | 66840.8<br>1 | 68340.0<br>0 | 54096.9<br>1 upto<br>Dec,202<br>2 | 64005.12 | (+)4334.8<br>8 | (+)6.77 |
| 2023-<br>24 | 2071-<br>पेंशन और अन्य<br>सेवानिवृत्ति<br>लाभ | 72657.6<br>0 | -            | -                                 | -        | -              | -       |
|             | 2235-<br>सामाजिक<br>सुरक्षा और<br>कल्याण      | 43.40        | -            | -                                 | -        | -              | -       |
|             | कुल   | 72701.0<br>0 | -            | -                                 | -        | -              | -       |

3.15 पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2020-21से 2022-23के दौरान संशोधित अनुमानों में भिन्नता के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं:-

➤ महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि होना।

| तारीख जिससे देय है | महंगाई भत्ता दर |
|--------------------|-----------------|
| 01.07.2019         | 17%             |
| 01.07.2021         | 31%             |
| 01.01.2022         | 34%             |
| 01.07.2022         | 38%             |

➤ 01.01.2020 को या उसके बाद और 30.06.2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए छुट्टी के अवज में ग्रेच्युटी और नकद भुगतान की गणना के लिए भारत सरकार के दिनांक 07.09.2021 के कार्यालय ज्ञापन संख्या1(5)/ई.वी/2020 के अनुसार डीए दरों में कल्पित वृद्धि के कारण पेंशनभोगियों को अवकाश नकदीकरण की अवशिष्ट बकाया राशि के भुगतान का विवरण निम्नानुसार है -

| अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी | गणना के उद्देश्य से महंगाई भत्ते की कल्पित दर (डीए) |
|--|---|
| 01.01.2020 से 30.06.2020 तक                  | मूल वेतन का 21%                                     |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 01.07.2020 से 31.12.2020 तक | मूल वेतन का 24% |
| 01.01.2021 से 30.06.2021 तक | मूल वेतन का 28% |

- पेंशनरों की संख्या में वृद्धि होना। 40 क वर्ष लगभग प्रत्ये, (नए पेंशनभोगी जुड़ रहे हैं 000
- 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु प्राप्त करने के बाद पेंशन में वृद्धि होना।

### मांग सं.42 राज्यों को अंतरण

#### लोक वित्त राज्य प्रभाग

3.16 व्यय विभाग का राज्य वित्त राज्य सरकार के वित्त से संबंधित मामले ,प्रभाग (राज्य-लोक वित्त) देखता है जिसमें राज्यों के लिए ऋण की अधिकतम सीमा का निर्धारण भारत के संविधान के अनुच्छेद , 293(3) के तहत ऋण हेतु अनुमति जारी किया जाना (वित्त आयोगों द्वारा यथासंस्तुत) ऋण राहत उपाय ,, विदेशी सहायता (अनुदान एवं ऋण भाग) य सहायता केन्द्री परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त प्राप्त -, राज्यों को विशेष सहायता जारी किया जाना, वित्त आयोगों की सिफारिश पर सहायता अनुदान जारी किया जाना और मांग संख्या 42 के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि और (एनडीआरएफ) राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का जारी किया जाना शामिल है।

3.17 वर्ष 2014- तक योजना 15 वित्त योजनागत-त और गैर योजनाग ,राज्य प्रभाग-, दोनों के तहत निधियां जारी कर रहा था। योजना अनुदानों में "ब्लॉक अनुदान" समाविष्ट है जिनमें सामान्य केन्द्रीय , (राज्य घटक) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि स्कीम ,सहायता, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए - अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता विशेष योजना सहायता आदि सम्मिलित हैं। तेरहवें ,केन्द्रीय सहायता विशेष , 2010 वित्त आयोग द्वारा अपनी अधिनिर्णय अवधि-योजना अनुदान प्रदान किए -के लिए यथासंस्तुत गैर 15 गए। वर्ष 2020- वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान जारी किए जा रहे 15 से 21 हैं। केंद्र सरकार ने 2021-2025 से 22- 26 (वर्ष 2020- के लिए अंतरिम 21 रिपोर्ट सहित 15 की अवधि के लिए (वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ये अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत आते हैं और प्रभारित व्यय हैं।

3.18 पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्यों की राजस्व व्यय आवश्यकता का विस्तृत आकलन करने के बाद केन्द्रीय करों के विभाज्य पूल में कर अंतरण 41% करने की सिफारिश की है।

3.19 बजट अनुमान 2023-24 में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा संशोधित अनुमान -202223 में 9,48,405.82 करोड़ रुपए की तुलना में 10,21,448.16 करोड़ रुपए होने का अनुमान है-2023 जो ,24 के दौरान 73,042.34 करोड़ रुपए की वृद्धि दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, बजट अनुमान 2022 - में 23 पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य के राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए 86,201.00 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान, 69,421.00 करोड़ रुपए का स्थानीय निकाय अनुदान ग्रामीण और शहरी )



को बढ़ाने के लिए (एसडीआरएफ) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (स्थानीय निकाय) 18635.20 करोड़ रुपये का अनुदान एवं राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के लिए (एसडीएमएफ) 4658.80 करोड़ रुपये की राशि भी प्रदान की गई है।

3.20 अनुदान के रूप में, राज्यों को अंतरण के लिए मांग सं. 42 में -2023 (बजट) 4 अनुमान में (अनुमानित राशि) 1,65,480.00 करोड़ रुपए है।

3.21 इस अवधि (2020-21 से 2023-24) के लिए मांग संख्या 42 के तहत प्रावधानों और निर्गम का विवरण संख्या 1 (कमें) दिया गया है। (ख) और (

विवरण सं. 1 (क)

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लोक वित्त मांग सं राज्यों की-42 के तहत योजनाओं के संबंध में वित्त वर्ष 2020-21 से -202223 की अवधि तथा -202324 के बजट अनुमान के दौरान योजनावार ब.अ., सं.अ. और वास्तविक रिलीज

(करोड़ रुपए)

| क्र. सं. | योजना का नाम   | 2020-21      |              | 2021-22      |              | 2022-23      |              | वास्तविक रिलीज (31.01.23 तक) | कमाआश्कता यदि कोई हो, के कारण | ब.अ. 2023-24 |   |              |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|---|--------------|
|          |  | ब.अ.         | स.अ.         | ब.अ.         | स.अ.         | ब.अ.         | स.अ.         |                              |                               |              |   |              |
| 1        | विशेष सहायता   | 1500<br>0.00 | 3000.0<br>0  | 1996.1<br>6  | 15000.<br>00 | 5000.0<br>0  | 3766.3<br>9  | 15000.<br>00                 | 6000.0<br>0                   | 978.88       | "विशेष सहायता" एक आवश्यकता आधारित सहायता है जो मांग के अनुसार राज्यों को प्रदान की जाती है। प्राक्कलन स्तर पर इस शीर्ष के तहत आवंटन में 10,000.00 करोड़ रुपए की कमी की गई थी।               | 12000.<br>00 |
| 2        | बाह्य सहायता- प्राप्त परियोजनाओं के अतिरिक्त य केन्द्री सहायता ऋण (अनुदान) | 2900<br>0.00 | 34525.<br>00 | 30195.<br>05 | 49750.<br>00 | 31165.<br>00 | 26949.<br>53 | 36002.<br>00                 | 34880.<br>00                  | 26454.<br>97 | बाह्य सहायता प्राप्त- परियोजनाओं के लिए य केन्द्री अतिरिक्त सहायता जारी करने के लिए सीएए नोडल एजेंसी है। इस सहायता को जारी करना दाता एजेंसियों द्वारा ऋण राशि के सावितरण पर निर्भर करता है। | 29450.<br>00 |
| 3        | क्वाड-19 टिकाकरण के लिए सहायता   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 35000.<br>00 | 39000.<br>00 | 35437.<br>68 | 5000.0<br>0                  | 967.00                        | 967.00       | यह क्वाड-19 टिकाकरण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु वित्त वर्ष-2021-2022 से शुरू की  | 0.01         |

|            |  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 |   |                  |
|------------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---|------------------|
|            |  |                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                 | गई एक नई बजट लाइन है।   |                  |
| 4          | जाएस्टी क्षतिपूर्ति कमी एवज राज्यों बैंक ऋण के मंत्रियों को बैंक | 0.00            | 110208.00        | 110208.00        | 0.01             | 159000.00        | 159000.00        | 0.01             | 0.02             | 0.00            | यह राज्या आर सघ राज्य क्षेत्रों )विधान मंडल वाले (को जाएस्टी की कमी की क्षतिपूर्ति करने के लिए वित्त वर्ष 2020-से शुरू की 2021 गई नई बजट लाइन है। | 0.02             |
| 5          | पूजा व्यय के लिए राज्यों को ऋण के रूप में विशेष सहायता           | 0.00            | 12000.00         | 11830.29         | 10000.00         | 15000.00         | 14185.78         | 100000.00        | 76000.00         | 45243.97        | यह वित्त वर्ष 2020-से शुरू की 2021 गई नई बजट लाइन है, जिसमें राज्यों को पंजीगत व्यय के लिए ऋण के रूप में विशेष सहायता प्रदान की गई है।            | 130000.00        |
| <b>कुल</b> |  | <b>44000.00</b> | <b>159733.00</b> | <b>154229.50</b> | <b>109750.01</b> | <b>249165.00</b> | <b>239339.38</b> | <b>156002.01</b> | <b>117847.02</b> | <b>73644.82</b> |   | <b>171450.03</b> |

**विवरण सं. 1(ख)**

**वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, लोक वित्त.राज्यों की मांग सं-42 के तहत वित्त आयोग अनुदानों के संबंध में वित्त वर्ष 2020-2022 से 21-की अवधि 23 2023 तथा-वार ब-के बजट अनुमान के दौरान योजना 24.अ., स.अ. और वास्तविक रिलीज**

| क्र.सं. | योजनाएं                                   | 2020-21          |                  |                  | 2021-22          |                  |                  | 2022-23          |                  |                      | 2023-24          |
|---------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|
|         |   | ब.अ.             | स.अ.             | वास्तविक         | ब.अ.             | स.अ.             | वास्तविक         | ब.अ.             | स.अ.             | वास्तविक             | ब.अ.             |
|         |   |                  |                  | क                |                  |                  | क                |                  |                  | क<br>(31.01.2023 तक) |                  |
| A.1     | अतरण पश्चात् घाटा अनुदान                  | 30000.00         | 74340.00         | 74340.00         | 118452.00        | 118452.00        | 118452.00        | 86201.00         | 86201.00         | 71834.17             | 51673.00         |
| 2       | राज्य आपदा राहत कोष के लिए सहायता अनुदान  | 20000.00         | 22262.43         | 22262.43         | 22184.00         | 17747.20         | 17747.20         | 18635.20         | 18635.20         | 13214.00             | 19572.80         |
| 3       | राज्य आपदा शमन कोष के लिए सहायता अनुदान   | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 4436.80          | 2524.60          | 4658.80          | 3500.00          | 1345.80              | 4893.20          |
| 4       | स्थानीय निकायों के लिए अनुदान             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                      |                  |
| 4(i)    | ग्रामीण निकाय                             | 69924.79         | 60750            | 60750            | 44901.00         | 42623.00         | 40311.80         | 46513.00         | 41000.00         | 30385.87             | 47018.00         |
| 4(ii)   | शहरी निकाय                                | 30000.00         | 25000            | 26710.07         | 22114.00         | 14614.00         | 16147.33         | 22908.00         | 15026.00         | 10626.90             | 24222.00         |
| 5       | स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अनुदान           | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 13192.00         | 13192.00         | 12251.82         | 13192.00         | 8895.00          | 762.08               | 13851.00         |
| 6       | नए शहरों के इनक्यूबेशन के लिए अनुदान      | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 4000.00          |
| 7       | साझा नगरपालिका सेवाओं के लिए अनुदान       | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                 | 250.00           |
|         | <b>कुल</b>                                | <b>149924.79</b> | <b>182352.43</b> | <b>184062.50</b> | <b>220843.00</b> | <b>211065.00</b> | <b>207434.75</b> | <b>192108.00</b> | <b>173257.20</b> | <b>128168.82</b>     | <b>165480.00</b> |
| बी      | राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) | 25000.00         | 10000.00         | 8257.11          | 12390.77         | 9000.00          | 7670.80          | 10408.00         | 6400.00          | 886.72               | 10928.00         |

|    |                                   |      |      |      |      |      |         |      |         |         |      |         |
|----|-----------------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|---------|---------|------|---------|
| सौ | राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2478.15 | 0.00 | 2602.00 | 1600.00 | 0.00 | 2732.00 |
|----|-----------------------------------|------|------|------|------|------|---------|------|---------|---------|------|---------|

## चार बजटीय आवंटन और अन्य मुद्दे

### क.मांग सं.32- वित्तीय सेवाएं विभाग

(करोड़ रुपये)

| वर्ष     | बजट अनुमान | संशोधित अनुमान | वास्तविक |
|----------|------------|----------------|----------|
| 2020 -21 | 29075.02   | 51830.58       | 48939.16 |
| 2021-22  | 51510.81   | 82305.87       | 75393.90 |
| 2022-23  | 7174.77    | 6303.42        |          |
| 2023-24  | 1374.66    |                |          |

दिनांक 01.03.2023 को हुई समिति की बैठक के दौरान, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग ने विभाग के बारे में निम्नवत् जानकारी दी:-

“डिमांड नंबर 32 वित्तीय सेवाएं विभाग से संबंधित है। यह मांग बैंकिंग, बीमा, पेंशन से संबंधित सभी वित्तीय सेवाओं पर अनुदान से संबंधित है। तीन प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें हमारे विभाग को बजट की आवश्यकता है। पहला है- इस विभाग के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और संस्थानों का पुनर्पूजीकरण। दूसरा है- विशिष्ट क्षेत्रों की ओर ऋण को दिशा देने के लिए क्रेडिट गारंटी। तीसरा है- पीएमजेडीवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई आदि जैसी सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को बढ़ावा देने में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रयासों में सहायता करना।

इस बजट में हम 137466 करोड़ रुपए के कुल बजटीय अनुदान की मांग करते हैं।...सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों की बेहतर सॉल्वेंसी और पूंजी पर्याप्तता के कारण पुनर्पूजीकरण को टोकन के रूप में लिया जाता है।”

4.2 दिनांक 31.01.2023 तक मांग संख्या 32 के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक व्यय, संशोधित अनुमान 2022-23 में परिवर्तन के कारणों अर्थात् बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में 871.35 करोड़ रुपये की कमी और बजट अनुमान 2023-24 में भारी कमी के कारण 7174.77 करोड़ रुपये बजट अनुमान 2022-23) से घटाकर केवल 137 करोड़ रुपये कर दिए जाने के बारे में पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:-

दिनांक 31.1.2023 की स्थिति के अनुसार मांग संख्या 32 के तहत वित्त वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक व्यय 711.41 करोड़ रुपये है।

संशोधित अनुमान 2022-23 में परिवर्तन का कारण बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में 871.35 करोड़ रुपये की कमी: निम्नवत् है (

| क्र.सं. | योजना   | ब.अ. 2022-23<br>(करोड़ रुपये में) | सं.अ.2022-23 (करोड़ रुपये में) | कटौती का कारण  |
|---------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| 1       | नाबार्ड की शेयर पूंजी की सदस्यता  | 500.00                            | 0.00                           | नाबार्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए इसके पास पर्याप्त हेड रूम है और वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान अतिरिक्त इक्विटी समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी।  |
| 2       | आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना के तहत सरकार द्वारा दी गई गारंटी को लागू करने पर दावों के निपटान के लिए ऋण | 500.00                            | 40.00                          | गारंटी कवरेज केवल 31.3.2023 तक वैध है और जैसा कि सिडबी द्वारा सूचित किया गया है, अपेक्षित मांग लगभग 40 करोड़ रुपये होगा। इसलिए, बजटीय आवंटन को संशोधित अनुमान 50000 करोड़ रुपये से घटाकर संशोधित अनुमान स्तर पर 40 करोड़ रुपये कर दिया गया था। |
| 3       | सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई)   | 500.00                            | 50.00                          | 10,000 करोड़ रुपये की पूरी राशि के लिए गारंटी जारी की गई है। हालांकि, अभी तक कोई एनपीए सामने नहीं आया है। इसलिए, संशोधित अनुमान स्तर पर निधि की आवश्यकता को 50000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से घटाकर 5000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।          |
| 4       | कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएस)  | 250.00                            | 125.00                         | 06.01.2023 तक, 9,284.35 करोड़ रुपये के लिए गारंटी जारी की गई है। इसलिए, संशोधित अनुमान के स्तर पर निधि की आवश्यकता को 25000 करोड़ रुपये से घटाकर 12500 करोड़ रुपये कर दिया गया है।   |
| 5       | प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत दिए गए ऋणों की गारंटी प्रदान करने के लिए                | 100.00                            | 0.00                           | यह निर्णय लिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर कॉर्पस सहायता जारी की जाए। चूंकि एनसीजीटीसी के पास पर्याप्त   |

|   |   |        |        |  |
|---|---|--------|--------|--|
|   | क्रेडिट गारंटी फंड  |        |        | निधियां हैं, इसलिए बजट अनुमान में प्रदान की गई राशि को वापस कर दिया गया है।  |
| 6 | प्रधानमंत्री वय वंदना योजना पीएमवीवीवाई (   | 473.92 | 27.58  | बजट अनुमान आवंटन एलआईसी द्वारा तैयार किए गए अनुमान पर आधारित था। तथापि, राजसहायता राशि प्रतिपूर्ति के रूप में जारी करने का निर्णय लिया गया न कि अग्रिमों में। इससे चालू वर्ष में संशोधित अनुमान राज्य में आवंटन में कमी आई है। |
| 7 | अटल पेंशन योजना के तहत प्रोत्साहन के भुगतान के लिए पीएफआरडीए को वित्त पोषण सहायता | 200.00 | 180.00 | सितंबर 2022 और मार्च 2023 के बीच अपेक्षित नए नामांकन 75 लाख के आधार पर (ब.अ. चरण में आवश्यकता को संशोधित किया गया।   |

इसके अलावा, बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 में परिवर्तन का कारण निम्नवत् है:

| क्र.सं. | योजना  | ब.अ.<br>2022-23<br>(करोड़<br>रुपये में) | सं.अ.<br>2023-24<br>(करोड़<br>रुपये में) | कटौती का कारण   |
|---------|--|---|--|---|
| 1       | नाबार्ड की शेयर पूंजी की सदस्यता   | 500.00                                  | 0.01                                     | एलटीआईएफ, सूक्ष्म सिंचाई निधि (एमआईएफ), मात्स्यिकी अवसंरचना विकास निधि आदि (एफआईडीएफ) जैसी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 2022-23 के दौरान अनुमानित संवितरण के स्तर को ध्यान में रखते हुए, योजना के तहत आवंटन की समीक्षा की गई है और बजट अनुमान 2023-24 में टोकन राशि ली गई है। |
| 2       | एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की (एक्विजि बैंक) जी की सदस्यता शेयर पूं | 1500.00                                 | 0.01                                     | एक्विजि बैंक को 1500 करोड़ रुपये की इक्विटी सहायता वित्त वर्ष 2022-23 में जारी की जाएगी फरवरी, 2023 में जारी होने की आशा है। तदनुसार, बजट अनुमान 2023-24 में टोकन राशि ली गई है।  |
| 3       | भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड   | 100.00                                  | 0.01                                     | आईएफसीआई लिमिटेड को सितंबर 2022 में अपनी शेयर पूंजी जैसा कि )   |



|   |   |         |        |  |
|---|---|---------|--------|--|
|   | (लिमिटेड आईएफसीआई) को इकिटी सहायता  |         |        | बजट अनुमान 2022-23 में परिकल्पित है की सदस्यता के लिए (100 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी। हालांकि, इसकी तरलता आवश्यकता को पूरा करने के लिए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांग में 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई थी। तदनुसार, बजट अनुमान 2023-24 के लिए टोकन राशि का प्रावधान मांगा गया है। |
| 4 | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के (आरआरबी) पुनर्पूजीकरण के लिए सरकार के हिस्से का योगदान                          | 1361.00 | 0.00   | एकबारगी पुनर्पूजीकरण सहायता के रूप में अनुमोदित 5445 करोड़ रुपये के भारत सरकार के हिस्से में से, वित्त वर्ष 2021-22 में 4084 करोड़ रुपये जारी किए गए थे और शेष 1361 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2022-23 में जारी होने की आशा है।  |
| 5 | आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत (पीसीजीएस) सरकार द्वारा दी गई गारंटी को लागू करने पर दावों के निपटान के लिए ऋण | 500.00  | 50.00  | इस योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रदान की गई सरकारी गारंटी की वैधता 31.3.2023 को समाप्त हो जाएगी। शेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बजट अनुमान 2023-24 के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।  |
| 6 | कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएस)  | 250.00  | 100.00 | एनपीए की प्रवृत्ति और अपेक्षित दावों के आधार पर, बजट अनुमान 2023-24 में कम आवंटन की मांग की गई है।   |
| 7 | सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसएमएफआई)   | 500.00  | 100.00 | अभी तक किसी एनपीए की सूचना नहीं मिली है। इस क्षेत्र में दबाव की सूचना नहीं दी गई है और योजना के तहत कम एनपीए की उम्मीद है। इसलिए, बजट को कम रखा गया है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर संशोधित किया जा सकता है।  |
| 8 | प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई)   | 473.92  | 189.70 | बजट अनुमान 2023-24 में आवंटित राशि एलआईसी के उस वित्त वर्ष में जारी की जाने वाली सब्सिडी की राशि के अनुमान पर आधारित है।   |
| 9 | पीएमएमवाई के तहत दिए गए ऋणों को गारंटी प्रदान करने के लिए क्रेडिट गारंटी                                    | 100.00  | 0.01   | आवश्यकता पड़ने पर एनसीजीटीसी को निधियां जारी करने का निर्णय लिया गया है। चूंकि एनसीजीटीसी के पास वर्तमान   |

|   |  |  |
|---|--|--|
| फंड के लिए एनसीजीटीसी को वित्तीय सहायता |  | में पर्याप्त निधियां हैं, इसलिए टोकन प्रावधान किया गया है। |
|---|--|--|

### ख .पूंजीगत व्यय

| वर्ष    | ब.अ.      | सं.अ.    | वास्तविक  |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 2020-21 | 4,12,085  | 4,39,163 | 4,26,317  |
| 2021-22 | 5,54,236  | 6,02,711 | 5,92,874  |
| 2022-23 | 7,50,246  | 7,28,274 | 5,93,099* |
| 2023-24 | 10,00,961 | -        | -         |

\*02 फरवरी, 2023 को रिपोर्ट किए गए फ्लैश डेटा के अनुसार

4.3 समिति ने इस बजट में भी पूंजीगत व्यय पर विशेष बल दिए जाने के बारे में पूछा। आर्थिक कार्य विभाग के सचिव ने समिति के समक्ष निम्नवत् बताया: -

“पिछले तीन वर्षों में पूंजीगत व्यय के प्रावधान में वर्षवार 33-35 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। जहां तक चालू वर्ष का संबंध है, प्रावधान 7.5 लाख करोड़ रुपये के लिए है और संशोधित अनुमान के अनुसार उम्मीद 7.29 लाख करोड़ रुपये है। राज्य सरकार के लिए किए गए एक प्रावधानके सामने लगभग 20,000 करोड़ रुपये की कमी आ रही है, जो कतिपय सुधारों और उनके द्वारा किए जाने वाले कुछ उपायों से जुड़ा हुआ है। इसलिए, शायद कम ऑफटेक की आशा है।

पूंजीगत व्यय को और बढ़ाने का विचार यह था कि विकास के साथसाथ रोजगार के संदर्भ में - गुणक प्रभाव इस समय या किसी भी समय सबसे बड़ा है रहा /है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि करते समय यही विचार प्रक्रिया थी। जबकि निजी निवेश के संकेत हैं, अंततोगत्वा यही निजी निवेश होगा, जो अधिक पूर्वप्रमुख हिस्सा होगा। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में ऐसे संकेत हैं जिनके आंकड़े उपलब्ध हैं कि निजी क्षेत्र का व्यय पिछले दो से तीन वर्षों की तुलना में बेहतर है। लेकिन यह महसूस किया गया है कि सरकार को 2023-24 के आगामी वर्ष में भी थोड़ा हैवी लिफ्टिंग करना होगा। इसलिए, इसे और बढ़ाकर ठीक 10 लाख करोड़ रुपये करने की यही विचार प्रक्रिया थी।”

4.4 यह पूछे जाने पर कि क्या पिछले साल पूंजीगत व्यय में वृद्धि से निजी निवेश में अधिकता और इसकी वृद्धि के परिमाण में सहायता मिली है, मंत्रालय द्वारा निम्नवत् उत्तर प्रस्तुत किया गया:-

भारत सरकार के पिछले दो बजटों में पूंजीगत व्यय पर जोर देने से वित्त वर्ष 20 से 22 निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी आई है। प्रमुख उद्योग सीईओ के सर्वेक्षण भी कैपेक्स बढ़ाने के लिए उनकी योजनाओं और प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। एक्सिस बैंक बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिसर्च के अनुसार, निजी कैपेक्स फार्मा, सीमेंट, रसायन, स्टील, आईटी और बिजली में निवेश से प्रेरित होकर वित्त वर्ष 22 में बढ़कर लगभग 5.34 ट्रिलियन हो गया।

| निजी पूंजीगत व्यय में रूझान पर वार्षिक डेटा |                     |                   |
|---|---------------------|-------------------|
| वर्ष  | लाख करोड़ रुपये में | प्रतिशत में       |
|   | निजी निवेश          | साल साल-दर-वृद्धि |
| वित्त वर्ष 17                               | 4.5                 |                   |
| वित्त वर्ष 18                               | 4.7                 | 4.4               |
| वित्त वर्ष 19                               | 5.5                 | 17                |
| वित्त वर्ष 20                               | 5.3                 | -3.6              |
| वित्त वर्ष 21                               | 4.8                 | -9.4              |
| वित्त वर्ष 22                               | 5.3                 | 10.4              |

स्रोत:कैपिटलिन ; एक्सिस बैंक रिसर्च  
नोट ,डेटा :3148 कंपनियों के एक सुसंगत सेट पर आधारित है

### ग. राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष (एनआईआईएफ)

4.5 समिति ने एनआईआईएफ के पिछले तीन वर्षों के की निष्पादन उपयोगिता के बारे में डेटा की मांग की, जिसके संबंध में उन्होंने निम्नवत् बताया:-

एनआईआईएफ की स्थापना की घोषणा 28 फरवरी, 2015 को बजट भाषण के पैरा 47 के माध्यम से की गई थी और 28 जुलाई, 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारत सरकार ने एनआईआईएफ के अंतर्गत स्थापित धन में से 20,000 करोड़ रुपये )~3 बिलियन अमरीकी डालर की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि ( निवेश प्रबंधक ("एनआईआईएफ लिमिटेड"), एक कंपनी है, जिसमें भारत सरकार की इक्विटी 49 प्रतिशत है। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि ट्रस्टी लिमिटेड एनआईआईएफ ट्रस्ट")ी लिमिटेड("), भारत सरकार की एक 100 प्रतिशत कंपनी है, जो एनआईआईएफ प्रबंधित निधियों की ट्रस्टी है।

आज की तारीख तक, एनआईआईएफ प्लेटफॉर्म के तहत तीन निधि अर्थात् राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि )"मास्टर फंड", "एनआईआईएफ एमएफ" (, एनआईआईएफ फंड ऑफ फंड्स- 1 (एनआईआईएफ एफओएफ-और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (।। ("रणनीतिक अवसर निधि", "एसओएफ" की स्थापना की गई है। ये निधि सेबी के पास श्रेणी (।। वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में पंजीकृत हैं। एनआईआईएफ निधियों का प्रबंधन एनआईआईएफ लिमिटेड द्वारा दिन-प्रतिदिन के आधार पर किया जाता है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है और सेबी द्वारा इन निधियों के निधि मैनेजर के रूप में विनियमित होती है।

**पिछले 3 वर्षों के दौरान निष्पादन उपयोग/िता  
निधि प्रतिबद्धताओं और परिनियोजन का विवरण**

(राशि करोड़ रुपये में)

| एनआईआईएफ<br>निधि   | 31 मार्च, 2020 तक                                 |   |                        | 31 मार्च, 2021 तक                                 |   |                        | 31 मार्च, 2022 तक                                |   |                        | 31 दिसंबर, 2022 तक                                |   |                        |
|--|---|---|------------------------|---|---|------------------------|--|---|------------------------|---|---|------------------------|
|  | निधि के<br>लिए<br>निवेशक<br>की<br>प्रतिबद्ध<br>ता | निधि की<br>पोर्टफोलियोप्रतिब<br>द्धताएं | निवेशि<br>त /<br>तैनात | निधि के<br>लिए<br>निवेशक<br>की<br>प्रतिबद्ध<br>ता | निधि की<br>पोर्टफोलि<br>यो<br>प्रतिबद्ध<br>ताएं | निवेशि<br>त /<br>तैनात | निधिके<br>लिए<br>निवेशक<br>की<br>प्रतिबद्ध<br>ता | निधि की<br>पोर्टफोलि<br>यो<br>प्रतिबद्ध<br>ताएं | निवेशि<br>त /<br>तैनात | निधि के<br>लिए<br>निवेशक<br>की<br>प्रतिबद्ध<br>ता | निधि की<br>पोर्टफोलि<br>यो<br>प्रतिबद्ध<br>ताएं | निवेशि<br>त /<br>तैनात |
| राष्ट्रीय निवेश<br>और अवसंरचना<br>निधि मास्टर")<br>निधि("            | 14,449  | 6,645                                   | 1,368                  | 15,998  | 6,731   | 2,323                  | 15,998   | 9,430   | 3,150                  | 15,998  | 9,653   | 4,177                  |
| एनआईआईएफ<br>निधियों की<br>निधि -I<br>("निधियों की<br>निधि("          | 4,700   | 2,627                                   | 691                    | 5,433   | 3,352   | 1,156                  | 4,281  | 3,462   | 2,037                  | 4,281   | 3,862   | 2,215                  |
| राष्ट्रीय निवेश<br>और अवसंरचना<br>निधि II<br>("सामरिक<br>अवसर निधि(" | 9,673   | 1,900                                   | 1,024                  | 8,914   | 4,399   | 2,299                  | 9,315  | 4,399   | 4,399                  | 9,315   | 4,775   | 4,774                  |
| कुल योग  | 28,821  | 11,172                                  | 3,083                  | 30,345  | 14,482  | 5,778                  | 29,594   | 17,291  | 9,587                  | 29,594  | 18,290  | 11,166                 |

टिप्पणीवित्त : वर्ष 21 में मास्टर निधि के अंतिम समापन के समय कार्यनीतिक अवसर निधि स्ट्रेटेजिक) ऑपच्युनिटीज फंडकी ( निवेशक प्रतिबद्धता का एक भाग मास्टर निधि को पुनः आवंटित किया गया था।

4.6 इसके अलावा, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव ने दिनांक 01.03.2023 को हुई समिति की बैठक के दौरान निम्नलिखित बताया: -

“एनआईआईएफ की सामान्य क्षमता के अनुसार उनके पास तीन निधियां हैं। मैं दूसरे निधि के , जिसने बहुत अच्छा कार्य किया है। जुटाई , जो निधियों के निधि के बारे में है ,बारे में उल्लेख करूंगा गई पूंजी का 90 प्रतिशत पहले ही दिया जा चुका है और लगभग 60 प्रतिशत पहले ही लगाया जा चुका है। जब मास्टर फंड की बात आती है ,जो अवसंरचना की ओर निर्देशित है, और जो लगभग 60-65 प्रतिशत है, उसे पहले ही दिया जा चुका है। शेष पूंजी दिए जाने के लिए कुछ समय बाकि है।

तीसरा है रणनीतिक अवसर कोष। यह कार्य 2019 में शुरू किया गया था, लेकिन कोविड आदि के कारण पहुंचने के लिए तब दो वर्ष की अवधि का अंतर था।। यह फंड जमीन पर उतरने वाला तीसरा फंड है।”

### घ. हरित जलवायु वित्त

4.7 समिति ने अपनी बैठक के दौरान हरित वर्गीकरण पर विचारविमर्श किया और-यह पूछा कि क्या जलवायु वित्त को निर्देशित करने के लिए हरित वर्गीकरण पर मानकों का एक सेट विकसित किया गया है, जिसपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग ने निम्नवत् बताया:-

“चालू वर्ष के दौरान, वास्तव में अगली तिमाही में, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड, दो चीजें लाने वाला है, जिसमें पहला संधारणीय वित्त के लिए मानक है और दूसरा जलवायु वित्त के लिए मानक है। थोड़ी चिंता की बात यह है कि वे मानक इतने कठिन न हों कि हमारे देश जैसा विकासशील देश उस पर विवश हो जाए। इसलिए, हम उनसे सीधे तौर पर नहीं, बल्कि आरबीआई और सेबी के माध्यम से बात कर रहे हैं, दोनों आईएसएसबी के साथ बातचीत कर रहे हैं और पिछले वर्ष, 2022 में प्रारूप सामने आया था। आरबीआई और सेबी दोनों ने अपनी टिप्पणियां दी हैं और हमें उम्मीद है कि वे इन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे। विकासशील अर्थव्यवस्थाएं भी तस्वीर में आ जाएंगी। यह सिर्फ बड़े कॉर्पोरेट के बारे में नहीं है। यहां तक कि एमएसएमई को भी संधारणीयता के लिए रिपोर्ट करना होगा। हमारी बड़ी चिंता यह थी कि वे सारी जिम्मेदारियां एमएसएमई पर न डाली जाएं। यह बहुत मुश्किल होगा।”

4.8 इसके अलावा, समिति ने मिश्रित वित्त साधनों के बारे में पूछा, जिन्हें भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा हरित वित्तपोषण और जलवायु निवेश के क्षेत्र में वर्तमान चरण में उपयोग में लाया जा सकता है, जिस पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया: -

मिश्रित वित्त में निजी क्षेत्र निवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र या परोपकार के वित्तीय संसाधनों का लाभ उठाना शामिल है, जिससे उच्च जोखिम वाली, लंबी अवधि की परियोजनाओं में निजी वित्त को उत्प्रेरित किया जा सके। मिश्रित वित्त का उपयोग नए और उभरते क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देता है। इसलिए, मिश्रित वित्त जलवायु से संबंधित परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर और उचित लागत पर निजी क्षेत्र निवेशों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी रूप से, यह

अनुदान, रियायती बाजार) दरों से नीचे और ( गैररियायती- ऋण, इक्विटी निवेश और वित्तपोषण के अन्य रूपों का मिश्रण हो सकता है।

## ड. बीमा क्षेत्र

4.9 सामान्य सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिति और उन्हें सुदृढ़ करने तथा उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में समिति द्वारा पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:-

दिनांक 31.3.की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक 2022 क्षेत्र की चार साधारण बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी), नामतः न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल), नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल), द ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और (ओआईसीएल) के वित्तीय प्रतिफल निम्नानुसार हैं (यूआईआईसीएल) यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(करोड़ रुपये में)

| मापदण्ड        | एनआईसीएल | एनआईसीएल | ओआईसीएल | यूआईआईसीएल |
|----------------|----------|----------|---------|------------|
| प्रीमियम       | 32,574   | 13,026   | 13,711  | 15,722     |
| पीएटी          | 164      | -1,675   | -3,115  | -2,136     |
| शोधन क्षमता    | 1.66     | 0.63     | 0.15    | 0.51       |
| संयुक्त अनुपात | 1.23     | 1.34     | 1.44    | 1.36       |
| निवल आस्ति     | 19,652   | 2,751    | 524     | 2,095      |

पीएसजीआईसी द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- एक. मोटर और स्वास्थ्य पोर्टफोलियो सहित लाभदायक व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना
- दो. जोखिम प्रबंधन पद्धतियों को बेहतर बनाना
- तीन. समग्र शोधन क्षमता में सुधार के लिए मोटर तृतीय पक्ष दावा के शीघ्र निपटान के लिए योजना बनाना एवं उसे लागू करना
- चार. वाणिज्यिक और आवासीय आस्तियां, जिनका प्रयोग नहीं किया जा रहा है और जिन्हें प्रयोग में लाए जाने की संभावना न हो, के मुद्रीकरण की प्रक्रिया आरंभ करना
- पांच. आईटी प्रणालियों को आधुनिक बनाना एवं उन्हें अपग्रेड करना ताकि सभी स्टेकहोल्डरों को सर्वोत्तम सेवाएं उपलब्ध करायी जा सकें।

तीन पीएसजीआईसी में पूंजी निवेश: वित्तीय वर्ष 2021-5 में 22,करोड़ रुपये का 000 निवेश किया गया, जिनमें से एनआईसीएल में 3,करोड़ रुपये 700, ओआईसीएल में 1,करोड़ 200 100 रुपये और यूआईआईसीएल में करोड़ रुपये का निवेश किया गया। ये सभी कंपनियां अपेक्षित शोधन क्षमता मार्जिन हासिल करने और लाभप्रद विकास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

इसके अलावा, उनके द्वारा प्राप्त किए जा रहे कार्य निष्पादन संकेतकों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2023-3 में 24, करोड़ रुपये की पूंजी निवेश करने पर विचार किया जाएगा। 000

तीन पीएसजीआईसी में भारत सरकार द्वारा किए गए कुल पूंजी निवेश का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

| वित्तीय वर्ष | एनआईसीएल | यूआईआईसीएल | ओआईसीएल | योग    |
|--------------|----------|------------|---------|--------|
| 2019-20      | 2,400    | 50         | 50      | 2,500  |
| 2020-21      | 1,675    | 1,080      | 720     | 3,475  |
| 2020-21      | 800      | 1,825      | 850     | 3,475  |
| 2020-21      | 700      | 700        | 1,600   | 3,000  |
| 2021-22      | 3,700    | 100        | 1,200   | 5,000  |
| योग          | 9,275    | 3,755      | 4,420   | 17,450 |

तीन पीएसजीआईसी अर्थात् नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की दवाबग्रस्त शोधन क्षमता स्थिति की समस्याओं को दूर करने और उनके लाभप्रद विकास को आगे बढ़ाने के लिए पूंजी के कुशल प्रयोग हेतु सभी पीएसजीआईसी द्वारा वित्तीय वर्ष 20-से 21 कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख संकेतकों से सम्बद्ध कई सुधार आरंभ किए गए हैं, जिसमें लाभदायक विकास को आगे बढ़ाने और शोधनक्षमता में सुधार के कई क्षेत्र हैं। पीएसजीआईसी संगठनात्मक पुनर्गठन, उत्पाद मानकीकरण, लागत युक्तिकरण और डिजिटलीकरण आदि सहित सुधारों के दौर से गुजर रहा है।

4.10 इसके अलावा, बीमा क्षेत्र को खोलने के प्रभाव के बारे में वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा किए जा रहे किसी भी अध्ययन के बारे में पूछे जाने पर, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग ने निम्नवत् बताया:

“अभी तक, हमने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि इस तरह के अध्ययन की आवश्यकता है।”

4.11 समिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में भी पूछा कि नई कर व्यवस्था में स्लैब और दरों में बदलाव के कारण देश में जीवन बीमा की पहुंच में कमी न आए, जिसके परिणामस्वरूप करदाता पुरानी व्यवस्था से स्थानांतरित हो सकते हैं और जिससे संभवतः कर बचत साधनों के रूप में जीवन बीमा उत्पादों की मांग में गिरावट आ सकती है। इसके उत्तर में मंत्रालय ने निम्नवत् बताया: -

जीवन बीमा परिषद ने कहा है कि जीवन बीमा कर्ता जोखिम सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और इस प्रकार बीमा सुरक्षा उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इसके अलावा, विनियमों द्वारा प्रदान की गई 'यूज एंड फाइल' सुविधा के माध्यम से सक्षम उत्पादनवोन्मेष पर जोर दिया जाएगा। अपनी पैठ और घनत्व बढ़ाने के लिए उद्योग काफी हद तक निम्नलिखित पर निर्भर करेगा:

- बीमाकर्ता टीयर 2 और टीयर 3 स्थानों में अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहुंच बढ़ाने और जागरूकता पैदा करने के लिए किफायती बीमा उत्पादों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- विनियामक द्वारा उपलब्ध कराई गई 'यूज एंड फाइल' सुविधा बीमाकर्ताओं को नवीन, सरल और लागत प्रभावी उत्पादों को ऑफर करने की अनुमति देगी। यह दृष्टिकोण बीमाकर्ताओं को नवीन, लागत प्रभावी और सरल खुदरा बीमा उत्पादों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करेगा। इसके अलावा, सैंड बॉक्स अवसंरचना का व्यापक रूप से उपयोग नवोन्मेषी उत्पाद ऑफरिंग की जांच परख के लिए किया जाएगा, जिसके सफल होने पर इसे बड़े ग्राहक आधार समूह को ऑफर किया जा सकता है।
- बीमाकर्ता अधिक पॉलिसी धारकों को लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएंगे। प्रौद्योगिकी का उपयोग दावा प्रोसेसिंग और निपटान में तेजी लाने के लिए भी किया जाएगा, जिससे प्रति वर्तनकाल टर्नअराउंड टाइम (कम होगा और जीवन बीमा उत्पादों में उपभोक्ता का विश्वास बढ़ेगा)।

असके अलावा, बीमा क्षेत्र में पैठ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकों और बीमाकर्ताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कवरेज का विस्तार करने के लिए भारत सरकार की ओर से इसपर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया गया है ताकि उनकी पहुंच व्यापक हो सके।

### च. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों अनुपात (सीडी) का जमा के लिए ऋण (एससीबी)

4.12 समिति ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण और जमा अनुपात पर राज्यवार डेटा मांगा, जिस पर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:-

| संस्वीकृति के स्थान के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण और जमा अनुपात के संबंध में राज्यवार आंकड़े |                                 |              |              |              |
|--|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| (मार्च के अंत तक)  |                                 |              |              |              |
| (प्रतिशत)  |                                 |              |              |              |
|  | क्षेत्रसंघ राज्य क्षेत्र/राज्य/ | वि.व.2019-20 | वि.व.2020-21 | वि.व.2021-22 |
| 1  | हरियाणा                         | 54.8         | 53.4         | 54.9         |
| 2  | हिमाचल प्रदेश                   | 30.2         | 30.9         | 32.0         |
| 3  | जम्मू और कश्मीर                 | 45.8         | 48.5         | 51.5         |
| 4  | पंजाब                           | 57.1         | 55.0         | 54.2         |
| 5  | राजस्थान                        | 79.6         | 77.9         | 79.0         |
| 6  | चंडीगढ़                         | 108.5        | 96.1         | 89.7         |
| 7  | दिल्ली                          | 110.2        | 93.9         | 93.2         |
| 8  | लद्दाख                          | 36.1         | 34.9         | 36.2         |



|    |  |       |       |       |
|----|--|-------|-------|-------|
| 9  | अरुणाचल प्रदेश   | 24.9  | 25.2  | 24.5  |
| 10 | असम  | 43.0  | 46.7  | 48.9  |
| 11 | मणिपुर   | 57.2  | 57.7  | 60.2  |
| 12 | मेघालय   | 35.3  | 37.6  | 32.0  |
| 13 | मिजोरम   | 36.1  | 42.0  | 45.4  |
| 14 | नागालैंड   | 37.5  | 43.2  | 43.0  |
| 15 | त्रिपुरा   | 42.5  | 42.1  | 41.9  |
| 16 | बिहार  | 36.1  | 40.1  | 42.5  |
| 17 | झारखंड   | 28.5  | 29.8  | 30.9  |
| 18 | ओडिशा  | 39.5  | 39.5  | 40.8  |
| 19 | सिक्किम  | 31.2  | 35.8  | 39.3  |
| 20 | पश्चिम बंगाल   | 49.3  | 46.5  | 46.4  |
| 21 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह   | 41.0  | 46.3  | 46.5  |
| 22 | छत्तीसगढ़  | 62.4  | 62.7  | 66.4  |
| 23 | मध्य प्रदेश  | 69.2  | 67.9  | 67.5  |
| 24 | उत्तर प्रदेश   | 41.5  | 41.5  | 43.9  |
| 25 | उत्तराखंड  | 36.5  | 35.3  | 35.7  |
| 26 | गोवा   | 25.1  | 24.5  | 24.3  |
| 27 | गुजरात   | 74.8  | 69.9  | 69.9  |
| 28 | महाराष्ट्र   | 102.0 | 92.5  | 91.9  |
| 29 | दादरा और नगर हवेली   | 44.7  | 35.3  | 35.7  |
| 30 | दमन और दीव   | -     | -     | -     |
| 31 | आंध्र प्रदेश   | 125.3 | 131.5 | 138.9 |
| 32 | कर्नाटक  | 65.2  | 59.8  | 60.5  |
| 33 | केरल   | 65.0  | 62.3  | 61.7  |
| 34 | तमिलनाडु   | 107.5 | 101.7 | 100.9 |
| 35 | लक्षद्वीप  | 8.7   | 7.8   | 9.6   |
| 36 | पुदुचेरी   | 64.0  | 64.8  | 63.6  |
| 37 | तेलंगाना   | 103.6 | 93.2  | 96.8  |
|    | अखिल भारत  | 76.5  | 71.7  | 72.1  |
|    | शून्यनगण्य।/लागू नहीं।   |       |       |       |
|    | टिप्पणी :2020 से, दादरा और नगर हवेली के आंकड़ों में दमन और दीव भी शामिल है।                                  |       |       |       |
|    | स्रोत:भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बुनियादी सांख्यिकीय रिटर्न ; भारतीय रिजर्व बैंक, विभिन्न मुद्दे। |       |       |       |

| उपयोगिता के स्थान के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋणजमा अनुपात पर राज्यवार -<br>आंकड़े |                                 |                   |                   |                   |
|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (मार्च के अंत तक)   |                                 |                   |                   |                   |
| (प्रतिशत)   |                                 |                   |                   |                   |
|   | क्षेत्रक्षेत्र संघ राज्य/राज्य/ | वि.व. 2019-<br>20 | वि.व. 2020-<br>21 | वि.व. 2021-<br>22 |
| 1   | हरियाणा                         | 64.8              | 59.8              | 60.7              |
| 2   | हिमाचल प्रदेश                   | 31.2              | 32.0              | 33.1              |
| 3   | जम्मू और कश्मीर                 | 46.2              | 48.9              | 52.2              |
| 4   | पंजाब                           | 59.4              | 57.4              | 56.5              |
| 5   | राजस्थान                        | 83.9              | 81.9              | 83.4              |
| 6   | चंडीगढ़                         | 107.5             | 99.4              | 91.4              |
| 7   | दिल्ली                          | 110.7             | 96.6              | 95.6              |
| 8   | लद्दाख                          | 36.6              | 35.4              | 36.9              |
| 9   | अरुणाचल प्रदेश                  | 25.3              | 30.2              | 25.1              |
| 10  | असम                             | 44.4              | 48.1              | 50.7              |
| 11  | मणिपुर                          | 59.1              | 60.1              | 66.3              |
| 12  | मेघालय                          | 35.5              | 37.9              | 32.3              |
| 13  | मिजोरम                          | 36.8              | 42.2              | 45.7              |
| 14  | नागालैंड                        | 37.9              | 57.3              | 43.8              |
| 15  | त्रिपुरा                        | 42.8              | 42.6              | 43.3              |
| 16  | बिहार                           | 37.2              | 41.2              | 44.2              |
| 17  | झारखंड                          | 30.4              | 31.5              | 32.6              |
| 18  | ओडिशा                           | 42.2              | 42.9              | 43.5              |
| 19  | सिक्किम                         | 31.7              | 36.3              | 41.8              |
| 20  | पश्चिम बंगाल                    | 51.8              | 49.2              | 49.0              |
| 21  | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह    | 44.1              | 46.5              | 51.1              |
| 22  | छत्तीसगढ़                       | 65.2              | 66.8              | 70.0              |
| 23  | मध्य प्रदेश                     | 72.1              | 70.7              | 70.4              |
| 24  | उत्तर प्रदेश                    | 44.3              | 44.2              | 46.4              |
| 25  | उत्तराखंड                       | 37.8              | 36.7              | 37.5              |
| 26  | गोवा                            | 26.3              | 25.8              | 25.9              |
| 27  | गुजरात                          | 82.8              | 79.5              | 81.7              |
| 28  | महाराष्ट्र                      | 89.4              | 79.2              | 77.8              |
| 29  | दादरा और नगर हवेली              | 64.7              | 52.4              | 51.2              |
| 30  | दमन और दीव                      | -                 | -                 | -                 |

|  |              |       |       |       |
|--|--------------|-------|-------|-------|
| 31   | आंध्र प्रदेश | 128.9 | 135.2 | 142.7 |
| 32   | कर्नाटक      | 69.9  | 63.2  | 64.3  |
| 33   | केरल         | 66.2  | 64.0  | 63.3  |
| 34   | तमिलनाडु     | 109.2 | 103.8 | 103.7 |
| 35   | लक्षद्वीप    | 8.7   | 7.9   | 9.6   |
| 36   | पुदुचेरी     | 66.5  | 67.2  | 65.8  |
| 37   | तेलंगाना     | 110.5 | 99.3  | 103.4 |
|  | अखिल भारत    | 76.5  | 71.7  | 72.1  |
| : शून्यनगण्य/लागू नहीं/  |              |       |       |       |
| टिप्पणी नवीनतम डेटा मार्च :2022 तक उपलब्ध है<br>2020 से, दादरा और नगर हवेली के आंकड़ों में दमन और दीव भी शामिल है। |              |       |       |       |
| स्रोतभारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बुनियादी सांख्यिकीय रिटर्न ;, भारतीय रिजर्व बैंक, विभिन्न मुद्दे।       |              |       |       |       |

### छ. विकेंद्रीकृत खरीद

4.13 समिति की बैठक के दौरान खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद के लिए खाद्य सब्सिडी की स्थिति और भुगतान के मुद्दों और उस पर पारदर्शिता की आवश्यकता के बारे में भी पूछा गया,जिस पर वित्त सचिव ने निम्नवत् बताया:

“विकेंद्रीकृत खरीद के संबंध में प्रश्न पर, मैं यह बताना चाहूंगा कि हमने उन आंकड़ों को अपनाया है जिसे खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने ,आवश्यक होने के कारण अपनाने का अनुरोध किया थाजिसमें हम बहुत उत्सुक हैं या कहें कि पूरी सरकार ,क्योंकि यह एक ऐसी योजना है , बहुत उत्सुक है कि खाद्यान्न उन लोगों तक पहुंचे जोइसके हकदार हैं। अतः, विकेंद्रीकृत खरीद ऐसी चीज नहीं है जिस पर व्यय विभाग ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा मांगी गई राशि में कोई महत्वपूर्ण कमी की हो।”

### ज. विनिवेश

4.14 मंत्रालय ने पिछले पांच वित्तीय वर्षों के लिए विनिवेश लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धि के बारे में निम्नलिखित डेटा प्रस्तुत किया:-

| वर्ष    | लक्ष्य (संशोधित अनुमान)<br>(करोड़ रुमें .) | वास्तविक प्राप्तियां<br>(करोड़ रुमें .) |
|---------|--|---|
| 2018-19 | 80,000                                     | 84,972                                  |
| 2019-20 | 65,000                                     | 50,300                                  |
| 2020-21 | 32000                                      | 32886                                   |
| 2021-22 | 78,000                                     | 13534                                   |
| 2022-23 | 50,000                                     | 31,107*                                 |

\*दिनांक 10.02.2023 की स्थिति के अनुसार

4.15 बैठक के दौरान, डीआईपीएएम के सचिव से लक्ष्यों और उपलब्धियों के बीच अंतर के कारणों के बारे में पूछा गया, जिस पर उन्होंने निम्नवत् बताया:-

“लक्ष्य और उपलब्धि के बीच एक अंतर है। विनिवेश की प्रकृति भी यही है...

... विनिवेश बाजार, धैर्य और अप्रत्याशितता का एक प्रकार्य है...

... यही कारण है कि हमने अब लक्ष्य को कम कर दिया है ताकि यह देखा जा सके कि बहुत अस्थिर बाजार स्थिति में क्या हासिल किया जा सकता है क्योंकि जब हम इक्विटी हिस्सेदारी को बाजार में कमजोर कर रहे होते हैं तो यह बहुत अधिक मूल्य वृद्धि भी कर देता है।”

#### **झ. सीपीएसई की अचल संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए विशेष प्रयोजन वाहन**

4.16 समिति की बैठक के दौरान सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव ने बताया कि केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की अचल संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए विशेष प्रयोजन वाहन को शामिल किया जा रहा है और यह पूछे जाने पर कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के बीच भूमि का बाजार मूल्य के आकलन के बारे में पूछे जाने पर, सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव ने निम्नवत् बताया: -

“इस प्रकार का विवरण उपलब्ध नहीं है।”

#### **ज. सामाजिक क्षेत्र**

4.17 बैठक के दौरान सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी के बारे में पूछे जाने पर, वित्त सचिव ने निम्नवत् बताया:

“मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इसमें सभी के लिए गिरावट आई है। उदाहरण के लिए, ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए इस वर्ष बजट अनुमान 206293 करोड़ रुपये था और इस वर्ष यह बढ़कर 238204 करोड़ रुपये हो गया है। यह नॉमिनल जीडीपी की वृद्धि दर से अधिक है। इसलिए, मैं सामान्यीकरण नहीं कर पाऊंगा। ऐसे मामले हैं जहां पूर्ण वृद्धि हुई है। हो सकता है कि जीडीपी के मामले में इसमें गिरावट आई हो। बजट से बजट तक ऐसा ही होता है क्योंकि सरकार समय की प्राथमिकताओं के प्रति वृद्धिशील समायोजन करती है। तथापि, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अधिकांश कार्यक्रमों में जहां ऐसा हुआ है, राज्य सरकारें वास्तव में उन्हें आबंटित धनराशि को खर्च करने में असमर्थ रही हैं और इसलिए संशोधित अनुमान बजट अनुमान से कम है। इन्हें हमने कम नहीं किया है। मैं समिति के समक्ष यह बात रख रहा हूँ कि ये कम मांगें संबंधित विभागों ने की हैं क्योंकि वे खर्च करने में असमर्थ हैं। हां, ऐसे मामले हो सकते हैं जहां वृद्धि बजट की अर्थव्यवस्था के आकार की वृद्धि से कम हो। यह एक तथ्य है।”

#### **ट. जीआईएफटी सिटी**

4.18 जीआईएफटी आईएफएससी में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए बजट में कई उपायों की घोषणा की गई है। समिति ने गिफ्ट आईएफएससी में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023-24 में किए जाने वाले धन आवंटन एवं पहलों और गिफ्ट सिटी को वैश्विक समकक्षों के बराबर लाने के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में पूछा था।

4.19 मंत्रालय ने निम्नवत् बताया:-

माननीय वित्तमंत्री ने जीआईएफटी आईएफएससी-में व्यावसायिक कार्यकलापों को बढ़ाते हुए वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में जीआईएफटी आईएफएससी-की स्थिति को संवर्धित करने के लिए बजट भाषण 2023 में जीआईएफटी -आईएफएससी से संबंधित कई घोषणाएं की हैं।

भारत सरकार आईएफएससी में अर्थात आईएफएससीए, अप्रैल 2020 में अपनी स्थापना के बाद से वित्तीय सेवाओं के एकीकृत विनियामक के लिए नीति का विस्तार और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वित्त वर्ष 2020-21 और 21-22 में आईएफएससीए को क्रमशः 20.55 करोड़ रुपये और 95.16 करोड़ रुपये का सहायता अनुदान जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान वित्त वर्ष में आईएफएससीए के लिए 123.85 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार ने वित्तवर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमानों के रूप में 181.79 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है।

अधिकांश सहायता उन परियोजनाओं और योजनाओं से जुड़ी है जिनका उद्देश्य व्यापारिक सुगमता, कार्यालय स्थान की उपलब्धता और जीआईएफटी - आईएफएससी में नवाचार और स्टार्ट अप-पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए, सरकार ने नवंबर, 2021 में तीन वर्षों में 45.75 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन सहित आईएफएससीए की "टेक-फिन" प्रोत्साहन योजना 2021" को मंजूरी दी है।

## ठ. राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री एनएफआईआर))

4.20 केंद्रीय बजट )2023-24) में सरकार ने एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री का (एनएफआईआर) द्रीय भंडार के रूप में कार्य करने के लिए प्रस्ताव किया है जिसे वित्तीय और सहायक जानकारी के केंद्र स्थापित किया जाएगा। एनएफआईआर का उद्देश्य ऋण के कुशल प्रवाह को सुविधाजनक बनाना, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है। एक नया विधायी ढांचा इस क्रेडिट सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को नियंत्रित करेगा, और इसे आरबीआई के परामर्श से डिजाइन किया जाएगा।

4.21 समिति ने एनएफआईआर की भूमिका, उद्देश्यों, ढांचे और लाभों के बारे में विवरण की मांग की, जिसपर मंत्रालय ने निम्नवत् बताया: -

वर्ष 2023- के 24बजट में नयी विधायी रूपरेखा के माध्यम से राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री को (एनएफआईआर)स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की गई है। इसका उद्देश्य वित्तीय सूचना हेतु एक केंद्रीय रिपोजिटरी बनाना ऋण ,के कुशल प्रवाह को सुविधाजनक बनाना वित्तीय ,समावेशन को प्रोत्साहित करना और देश में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना है।

एक व्यापक वित्तीय सूचना प्रणाली सूचना असममिति को दूर करती है ऋण ,लेने वालों की साख के मूल्यांकन की लागत को कम करती है जिससे ऋण ,तक उनकी पहुंच में सुधार होता है। मौजूदा वित्तीय सूचना प्रणाली खंडित अपूर्ण ,और अकुशल है तथा एकल विंडो द्वारा उपलब्ध नहीं है। ऋण निर्णयन प्रक्रिया में ऋण इतिहास के अलावा अन्य ,अनुषंगी सूचनाएं (उदाहरण)के रूप में , कोरपोरेटतुलनपत्र उपयोगिता ,करसूचना ,सूचना (बैलेंसशीट)बिल भुगतान सूचना भी (आदि , ऋण लेने वाले की ऋणग्रस्तता और साख के व्यापक मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। वर्तमान में ऐसी अनुषंगी सूचनाएं मौजूदा ऋण सूचना रिपोजिटरी के भाग के रूप में रिपोर्ट नहीं की जा रही है। अतः यह अनिवार्य है कि प्रथक वित्तीय सूचना प्रणालियों को एनएफआईआर का सृजन करके एकीकृत किया जाए जिससे वित्तीय क्षेत्र में सूचना असममिति कम होगी और वित्तपोषण के लिए , विशेषरूप से एमएसएमई हेतु उधार लेने वालों की पहुंच में सुधार होगा। ऋण सूचना के अतिरिक्त एनएफआईआर ,के रूप में वित्तीय ,सूचना के लिए रिपोजिटरी ऋण ,वितरण प्रणाली को बेहतर करेगा ताकि औपचारिक ऋण तक पहुंच नहीं पाने वाले या सीमित या बिना ऋण इतिहास वाले जनसाधारण को संस्थागत ऋण तक बेहतर पहुंच मिल सके। इसके परिणाम स्वरूप हुए ऋण प्रवाह में वृद्धि विशेष ,रूप से एमएसएमई क्षेत्र और कम सेवा प्राप्त जनसाधारण को भारतीय , अर्थव्यवस्था को वृद्धि के मार्ग पर ले जाने में सहायक होगी।

## भाग दो

### टिप्पणियां/सिफारिशें

#### मांग संख्या 32 - वित्तीय सेवाएं विभाग

1. वित्तीय सेवाएं विभाग से संबंधित मांग संख्या 32 की संवीक्षा करने पर समिति को बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय के बीच सह-संबंध स्थापित करना है। संशोधित अनुमान (2022-23) के लिए 6303.42 करोड़ रुपये की तुलना में, जो बजट अनुमान (2022-23) के लिए 7174.77 करोड़ रुपये से कम हो गया था, मंत्रालय द्वारा 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वास्तविक व्यय सिर्फ 711.41 करोड़ रुपये था। इसके अलावा, बजट अनुमान (2023-24) 1374.66 करोड़ रुपये है, यानी पिछले बजट अनुमान (2022-23) के लिए 7174.77 करोड़ रुपये से कम होकर 5800.11 करोड़ रुपये हो गया है। संशोधित अनुमान (2022-23) में परिवर्तन के लिए विभाग द्वारा बताए गए कुछेक कारण अर्थात् बजट अनुमान (2022-23) की तुलना में 871.35 करोड़ रुपये की कमी जिसमें नाबार्ड की शेयर पूंजी के अंशदान में कमी, आंशिक ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी गई गारंटी को लागू करने पर दावों के निपटान के लिए ऋण, सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, बजट अनुमान (2022-23) की तुलना में बजट अनुमान (2023-24) में परिवर्तन के कुछ कारणों में नाबार्ड की शेयर पूंजी की अंशदान के लिए पर्याप्त निधियां, भारतीय निर्यात आयात बैंक की शेयर पूंजी की सदस्यता, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के पुनर्पूँजीकरण के लिए सरकार के हिस्से का अंशदान, क्रेडिट गारंटी निधि के लिए एनसीजीटीसी को वित्तीय सहायता आदि भी शामिल हैं। समिति यह बताना चाहती है कि विभाग के पास 31.01.2023 की स्थिति के अनुसार अभी भी लगभग 5592.01 करोड़ रुपये यानी संशोधित अनुमान (2022-23) का 88.71% है, जो वित्तीय वर्ष के लिए केवल दो महीने शेष होने के साथ अप्रयुक्त है। समिति विभाग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती है कि नाबार्ड, एक्विजिमेंट बैंक जैसी संस्थाओं द्वारा आवंटित राशि का दक्षतापूर्ण उपयोग किया जाए और विभाग के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिए अनवरत और दक्षतापूर्ण संवितरण किया जाए।

#### पूँजीगत व्यय (कैपेक्स)

2. समिति नोट करती है कि 02.02.2023 की स्थिति के अनुसार 7,50,246 करोड़ रुपये के बजट अनुमान (2022-23) में से, वास्तविक व्यय 5,93,099 करोड़ रुपये रहा अर्थात् 7,28,274 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान (2022-23) से 1,35,175 करोड़ रुपये की राशि शेष रही। चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, बजट अनुमान 10,00,961 करोड़ रुपये रखा गया, जो पिछले बजट अनुमान (2022-23) के 7,50,246 करोड़ रुपये से 2,50,715 करोड़ रुपये अधिक है, जो अपने गत बजट अनुमान से पूँजीगत व्यय पर 35.4% अधिक था।

समिति को यह बताया गया है कि एक्सिस बैंक की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के पिछले दो बजटों में पूंजीगत व्यय पर जोर दिए जाने से वित्त वर्ष 2022 के बाद से निजी क्षेत्र के निवेश में तेजी आई है और यह काफी बढ़ा है। इस संबंध में, समिति महसूस करती है कि आधिकारिक सरकारी स्रोतों से ऐतिहासिक निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय डेटा की आवश्यकता है और समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को एक उद्देश्य परक प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए अपने स्वसतः वैध ऐतिहासिक निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय डेटा को एकत्र करके प्रकाशित करना चाहिए।

इसके अलावा, समिति चाहती है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित बजट आवंटन को केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा दक्षतापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, क्योंकि बुनियादी ढांचे और उत्पादक क्षमता में निवेश का विकास और रोजगार पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ता है। समिति महसूस करती है कि पूंजीगत व्यय में वृद्धि से विकास, रोजगार सृजन और वैश्विक चुनौतियों के खिलाफ एक सहारा बनने के उद्देश्य को, प्राप्त करने में मदद मिलेगी, क्योंकि खपत को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था को एक अच्छे विकास चक्र में ले जाने वाली प्राथमिक गति में से एक है।

### राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (NIIF)

3. समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) सेबी नियमों के तहत श्रेणी दो वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफ) के रूप में, स्थापित एक निधि प्रबंधक है। यह घरेलू आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना में इच्छिटी पूंजी निवेश करने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों दोनों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है और इसमें तीन प्रकार की निधियां हैं जैसे राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचनात्मक निधि (मास्टर फंड, "एनआईआईएफ एमएफ"), राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचनात्मक निधि (फंड का फंड -1 "एनआईआईएफ एफओएफ") और राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचनात्मक निधि -2 (रणनीतिक अवसर निधि "एसओएफ")। समिति पाती है कि एनआईआईएफ फंड ऑफ फंड्स-1 में 3862 करोड़ रुपये की निधि की पोर्टफोलियो प्रतिबद्धताओं में से 2215 करोड़ रुपये पहले ही लगाए जा चुके हैं। समिति इच्छाक व्योक्त करती है कि एनआईआईएफ के मास्टर फंड के निष्पादन को बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि 31 दिसंबर, 2022 तक केवल 4177 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया है, जबकि फंड और फंड की पोर्टफोलियो प्रतिबद्धताओं के लिए निवेशक प्रतिबद्धताएं क्रमशः 15998 करोड़ रुपये और 9653 करोड़ रुपये हैं। इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि एनआईआईएफ का अर्थव्यवस्था को बनाने में एक आवश्यक भूमिका है, जिसका उद्देश्य सतत आधार पर निवेशकों के लिए आकर्षक दीर्घकालिक जोखिम समायोजित रिटर्न उत्पन्न करना और बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से आर्थिक प्रभाव को अधिकतम करना है।

### हरित जलवायु वित्त

4. समिति महसूस करती है कि हरित जलवायु वित्तपोषण समय की जरूरत है और हरित वित्त के लिए वर्गीकरण पर स्पष्टता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि हरित विकास सरकार की आर्थिक दृष्टि का एक प्रमुख स्तंभ है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि मिश्रित वित्त साधनों को



वित्तीय संस्थानों द्वारा हरित वित्तपोषण और जलवायु निवेश के क्षेत्र में लगाना जाना चाहिए क्योंकि मिश्रित वित्त में उच्च जोखिम वाली, लंबी अवधि की परियोजनाओं में निजी वित्त को उत्प्रेरित करने की क्षमता है। इसके अलावा, समिति समझती है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सतत वित्त और जलवायु वित्त पर जारी किए जाने वाले मानकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता मानक बोर्ड (आईएसएसबी) के साथ काम कर रहे हैं। समिति समझती है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को भी सतता के लिए रिपोर्ट करना होगा, जो वित्तीय रूप से कमजोर एमएसएमई पर बहुत अधिक दायित्व हो सकता है। अतः समिति चाहती है कि भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी को आईएसएसबी के साथ इस मामले को उठाना चाहिए ताकि सतत वित्त और जलवायु वित्त के लिए मानक तैयार करते समय आईएसएसबी द्वारा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के प्रासंगिक मुद्दों को उठाया जा सके और ध्यान में रखा जा सके।

### बीमा क्षेत्र

5. समिति सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिति के बारे में चिंतित है, क्योंकि मोटर और स्वास्थ्य पोर्टफोलियो सहित लाभकारी व्यवसाय को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में सुधार, उपयोग में नहीं आने वाली वाणिज्यिक और आवासीय परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण, आईटी प्रणालियों का आधुनिकीकरण और उन्नयन, पूंजी निवेश आदि जैसे उपाय करने के बावजूद वांछित परिणाम सामने आते दिख रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तीन प्रमुख साधारण बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) नामत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की शोधन क्षमता अभी भी अच्छी नहीं है।

6. समिति इस बात से चिंतित है कि नई कर व्यवस्था में स्लैब और दरों में बदलाव के साथ, देश में जीवन बीमा की पहुंच में गिरावट आ सकती है क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा जीवन बीमा उत्पादों में कर बचत साधनों के रूप में निवेश करता है, जो अर्थव्यवस्था में ऋण योग्य / निवेश निधि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है। समिति बीमा क्षेत्र को खोलने के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापक अध्ययन करने का भी आग्रह करती है, ताकि यदि जरूरी हो, तो बीमा क्षेत्र को शासित करने वाले अधिनियम में कोई भी बदलाव किया जा सके।

### क्रेडिट डिपोजिट अनुपात

7. समिति पाती है कि गैर निष्पापदित परिसम्पत्तियां (नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स) घट रही हैं और कम एनपीए अनुपात और अधिक सुदृढ कॉर्पोरेट सेक्टर फंडामेंटस के साथ अच्छी तरह से पूंजीकृत बैंकिंग प्रणाली उत्पादक निवेश के अवसरों में बैंक क्रेडिट के प्रवाह को बढ़ाना जारी रखेगी। तथापि, समिति पाती है कि समिति को उपलब्ध कराए गए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण-जमा अनुपात के आंकड़े देश भर में असमान ऋण संवितरण को प्रदर्शित करते

हैं, जिसमें अधिक रूप से पिछड़े और भौगोलिक रूप से दुर्गम भू-भाग वाले राज्य/ क्षेत्र बैंक ऋण की उपलब्धता और विस्तार में पिछड़ रहे हैं। समिति आग्रह करती है कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए रणनीतियों और नीतियों को इस प्रकार से तैयार किया जाना चाहिए ताकि इस अंतर को दूर किया जा सके।

#### विकेंद्रीकृत खरीद

8. समिति यह नोट करती है कि खाद्यान्नों की विकेंद्रीकृत खरीद में खाद्य सप्लायर्स के लिए केंद्रीय निधि का अंतरण कुछ राज्यों के लिए परेशानी भरा है। समिति चाहती है कि इस तरह के संवितरण मुद्दों को हल किया जाए ताकि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को धन का निर्बाध प्रवाह बनाए रखा जा सके।

#### विनिवेश

9. समिति ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 78,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य (संशोधित अनुमान) की तुलना में 13,534 करोड़ रुपये की वास्तविक प्राप्तियों और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 50,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में केवल 31,107 करोड़ रुपये (10.02.2023 तक) की प्राप्तियों को नोट करती है। समिति को बताया गया है कि लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का अंतर विनिवेश की प्रकृति में अंतर्निहित है जो बाजार और धैर्य मजबूती का कार्य है। समिति अस्थिर बाजार स्थितियों में, अधिक प्राप्त किए जा सकने वाले लक्ष्यों पर ध्यान देती है, क्योंकि विशुद्ध रूप से राजकोषीय घाटे को दूर करने के लिए, अवास्तविक विनिवेश लक्ष्य निर्धारित करना सरकार के सर्वोत्तम वित्तीय हित में नहीं है, जिससे बाजार निर्माताओं द्वारा संभावित विनिवेश की प्रत्याशा में संभावित मूल्य वृद्धि के कारण केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के शेयरों की कीमतों में गिरावट हो सकती है। इसलिए समिति आशा करती है कि सरकार अपनी रणनीतियों में विवेकपूर्ण बने रहे।

केंद्रीय सरकार क्षेत्र के उदयमों की स्थायी संपत्तियों के मुद्रीकरण हेतु विशेष प्रयोजन संस्था

10. समिति को बताया गया है कि केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) की स्थायी संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए विशेष प्रयोजन संस्था को शामिल किया गया है। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि विशेष प्रयोजन संस्था के तहत केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के बीच भूमि के बाजार मूल्य का आकलन किया जाना चाहिए। समिति महसूस करती है कि सरकार की इन महत्वपूर्ण संपत्तियों की कीमत की समझ होना जरूरी है, क्योंकि उनके पास मुद्रीकरण के प्रमुख अवसर हैं। समिति का सुझाव है कि भूमि का विकास करने के बाद, भूमि को केवल भूमि मूल्य के लिए निपटाने के बजाय, अधिक लागत पर बेच दिया जाए, क्योंकि वर्तमान राजकोषीय स्थिति और सरकार के पास महत्वपूर्ण भूमि जोत को देखते हुए बढ़े हुए मूल्य में अर्थव्यवस्था की सहायता करने की क्षमता है। इसके अलावा, समिति चाहती है कि परस्पर विवादित भूमि जोतों के

संबंध में राज्य सरकारों के साथ सौहार्दपूर्ण समाधान निकाला जाए और विशेष प्रयोजन संस्थाभ का दक्षतापूर्ण ढंग से उपयोग किया जाए।

### सामाजिक क्षेत्र

11. समिति भारत में सामाजिक क्षेत्र के वित्तपोषण में सुधार करने के लिए पर्याप्त निधि की आवश्यकता पर जोर देना चाहती है। समिति का विचार है कि भारत में सामाजिक क्षेत्र के वित्तपोषण में सुधार के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की जरूरत है जिसमें सरकारी नीतियां, निजी क्षेत्र को लगाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। समिति महसूस करती है कि भारत के सामाजिक क्षेत्र में प्रभाव निवेश को प्रोत्साहित करने, सामाजिक क्षेत्र की पहलों के लिए क्राउडफंडिंग जैसी रणनीतियों को अपनाकर, अधिक कंपनियों को इसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), सरकारी-निजी भागीदारिता (पीपीपी) और सरकारी खर्च में वृद्धि के साथ-साथ, अधिक सहायता वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करते हुए, देश हमारे नागरिकों के जीवन के उत्थान के लिए सामाजिक क्षेत्र के लिए अधिक वित्त जुटा सकता है।

### गिफ्ट सिटी

12. समिति नोट करती है कि हाल के दिनों में, सरकार द्वारा जीआईएफटीआईएफएससी में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अनेकों उपाय किए गए हैं। समिति का विश्वास है कि जीआईएफटी सिटी की सफलता, सरकार की सहायता वातावरण बनाने की क्षमता पर निर्भर करता है जो व्यवसायों और निवेशकों को आकर्षित करती है। समिति का मानना है कि विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने और व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के अलावा, नियामक ढांचों को स्थापित करना जरूरी है जो समझने और अनुपालन करने में आसान हो; आक्रामक रूप से मार्केट गिफ्ट सिटी को अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और व्यवसायों के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उतारें; एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना और अपने विकास का समर्थन करने के लिए जीआईएफटी शहर में काम करने के लिए अपेक्षित कौशल के साथ एक स्थानीय कार्यबल विकसित करना है समिति को विश्वास है कि जीआईएफटी सिटी, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए एक जीवंत वैश्विक वित्तीय केंद्र बनने की क्षमता है, हमारी विकास कहानी में एक प्रमुख तरीके से योगदान देगा।

### राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री (एनएफआईआर)

13. समिति नोट करती है कि बजट 2023-24 में, वित्तीय सूचना के केंद्रीय भंडार के रूप में राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री (एनएफआईआर) की स्थापना, ऋण के कुशल प्रवाह को सुकट बनाने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। समिति समझती है कि एक व्यापक वित्तीय सूचना प्रणाली सूचना विषमता को दूर करेगी, उधारकर्ताओं की ऋण योग्यता का आकलन करने की लागत को कम करेगी और विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण तक पहुंच में सुधार करेगी। समिति को यह अवगत कराया गया है कि मौजूदा वित्तीय सूचना प्रणाली खंडित, अपूर्ण और अक्षम

है और एकल खिड़की के माध्यम से उपलब्ध नहीं है और एनएफआईआर की स्थापना से ऋण वितरण प्रणाली में सुधार होगा और इसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र और अवांछित आबादी के लिए ऋण प्रवाह में वृद्धि होगी। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि एनएफआईआर की स्थापना में तेजी लाई जाए, जिससे सभी वित्तीय सूचनाओं को समेकित करने में सहायता मिलेगी, जबकि देश में वित्तीय समावेशन और एमएसएमई क्षेत्र के निर्वाह की दिशा में सरकार की प्रेरणा को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से विकास पथ पर अग्रसर होगी।

नई दिल्ली

15 मार्च, 2023

24 फाल्गुन, 1944 (शक)

श्री जयंत सिन्हा

सभापति,

वित्त संबंधी स्थायी समिति

\*\*\*

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23)की तेरहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश  
समिति की बैठक बुधवार, 1 मार्च, 2023 को 1100 बजे से 1430 बजे तक  
मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
4. सुश्री सुनीता दुग्गल
5. श्री सुधीर गुप्ता
6. श्री मनोज कोटक
7. श्री हेमन्त पाटिल
8. श्री रवि शंकर प्रसाद
9. श्री नामा नागेश्वर राव
10. प्रो. सौगत राय
11. श्री गोपाल शेटी
12. श्री मनीश तिवारी
13. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
14. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

15. डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल
16. श्री पी. चिदम्बरम
17. श्री दामोदर राव दिवाकोंडा
18. श्री सुशील कुमार मोदी
19. डॉ. अमर पटनायक
20. डॉ. सी. एम. रमेश
21. श्री जी.वी.एल. नरसिम्हा राव

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

## साक्षियों की सूची

### आर्थिक कार्य विभाग

1. श्री अजय सेठ, सचिव
2. डॉ. वी.ए. नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार
3. श्री रजत कुमार मिश्रा, अपर सचिव
4. श्री आशीष वछानी, अपर सचिव
5. श्री राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव
6. श्री बालदेव पुरुषार्थ, संयुक्त सचिव

### व्यय विभाग

1. डॉ. टी.वी. सोमनाथन. एफएस एवं सचिव
2. सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यु, विशेष सचिव, (कार्मिक)
3. श्री एस.एस. दुबे, अपर लेखा महानियंत्रक
4. सुश्री आस्था एस. खतवानी, अपर लेखा महानियंत्रक
5. डॉ. सज्जन सिंह यादव, अपर सचिव
6. श्री मनोज सहाय, एएस एवं एफए (वित्त)

### वित्तीय सेवाएं विभाग

1. श्री विवेक जोशी, सचिव
2. श्री सुचिन्द्रा मिश्रा, अपर सचिव
3. श्री एम.पी. तंगीराला, अपर सचिव
4. श्री पंकज शर्मा, संयुक्त सचिव
5. श्री भूषण कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव
6. श्री समीर शुक्ला, संयुक्त सचिव
7. श्री मुकेश कुमार बंसल, संयुक्त सचिव
8. श्री सौरभ मिश्रा, संयुक्त सचिव

### निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम)

1. श्री तुहीन कांत पांडे, सचिव
2. सुश्री पारामा सेन, अपर सचिव
3. डॉ. आलोक पांडे, संयुक्त सचिव
4. श्री मनोज कुमार, संयुक्त सचिव
5. डॉ. शैलेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव
6. श्री राहुल जैन, संयुक्त सचिव

### **लोक उद्यम विभाग (डीपीई)**

1. श्री अली राजा रिज़वी, सचिव
2. श्री लुकास लाइकोसिंग कामसुयान, संयुक्त सचिव
3. श्री एस.के. जैन, संयुक्त सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों और साक्षियों का स्वागत किया। साक्षियों के प्रथागत परिचय और उनकी परिचयात्मक टिप्पणियों के पश्चात्, जिन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई थी उनमें अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति शामिल है; सरकारी निजी भागीदारी को बढ़ाना; राजकोषीय समेकन; केंद्र सरकार का ऋण-जीडीपी अनुपात; हेडलाइन राजकोषीय घाटा; पूंजीगत व्यय; निजी क्षेत्र के व्यय में वृद्धि; ऋण की सर्विसिंग, ब्याज भुगतान, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) कानूनों में सुधार, राज्यों को अंतरण गिरने के कारण; 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए विभिन्न स्रोतों से विकास के लिए पूंजी निर्माण और पूंजी की आवश्यकताएं; निजी कैपेक्स में रुझान; विदेशी पूंजी पर निर्भर निजी निवेश; एनआईएफ के अंतर्गत जम्पस्टार्टिंग एयरक्राफ्ट लीजिंग; निजी क्षेत्र के पूंजीगत व्यय को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में सक्षम होने के लिए एनआईएफ की क्षमता; हरित जलवायु वित्त और हरित वर्गीकरण; बेरोजगारी; भारत की श्रम शक्ति भागीदारी दर; विनिर्माण में संकुचन; राज्यों द्वारा प्राप्त केंद्रीय पूंजीगत व्यय; आंकड़ों की दोहरी गिनती; कुल निश्चित पूंजी निर्माण; विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के लिए निजी क्षेत्र के कैपेक्स पर विश्वसनीय डेटा की आवश्यकता; एमएसएमई पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का प्रभाव; गिफ्ट सिटी विनियमों में बदलाव; सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में ग्रामीण विकास और सामाजिक क्षेत्र के लिए निधि; प्राकृतिक खेती के लिए वर्गीकरण; राज्यों द्वारा खाद्यान्न की खरीद; पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना के राजकोषीय निहितार्थ; सकल मूल्य अभिवृद्धि; विवाद से विश्वास योजना; दीर्घकालिक छिपी देयताएं; आयुष्मान और स्वास्थ्य देखरेख देनदारियां; वित्तीय समावेशन; क्रेडिट गारंटी योजनाएँ; विनिवेश लक्ष्य और दिशानिर्देश; सीपीएसई की अचल संपत्तियों के

मुद्रीकरण के लिए विशेष प्रयोजन साधन; राज्यों का सीडी अनुपात; बीमा कंपनियों द्वारा उनके निवेश के प्रदर्शन पर सतर्कता और निरीक्षण; देश में बीमा पारिस्थितिकी तंत्र पर विदेशी या गैर-सरकारी बीमा कंपनियों का प्रभाव; सुलभ रूप से प्रतिस्पर्धा करने के लिए सार्वजनिक बीमा कंपनियों के लिए लचीलापन; भूमि परिसंपत्ति के मूल्य का अनुमान और इसकी प्रक्रिया को विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) में स्थानांतरित किया जा रहा है; बीमा कंपनियों का विनिवेश; नई पीएसई नीति और रुग्ण सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के साथ बंद भूमि परिसंपत्ति।

3. साक्षियों ने सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दिया और सभापति ने वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले, व्यय, वित्तीय सेवा, निवेश और सरकारी संपत्ति प्रबंधन और सार्वजनिक उद्यम विभाग) के प्रतिनिधियों को सदस्यों द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर सचिवालय को एक सप्ताह के भीतर लिखित उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिनके चर्चा के दौरान तुरंत उत्तर नहीं दिये जा सके।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।  
कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।



वित्त संबंधी स्थायी समिति (2022-23)की पंद्रहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश  
समिति की बैठक बुधवार, 15 मार्च, 2023 को 1500 बजे से 1720 बजे तक  
समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा - सभापति

लोक सभा

2. श्री एस. एस. अहलुवालिया
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
5. श्रीमती सुनीता दुग्गल
6. श्री गौरव गोगोई
7. श्री सुधीर गुप्ता
8. श्री मनोज कोटक
9. श्री पिनाकी मिश्रा
10. श्री हेमंत पाटिल
11. श्री रवि शंकर प्रसाद
12. प्रो. सौगात राय
13. श्री गोपाल शेटी
14. डॉ. (प्रो) कीरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
15. श्री मनीश तिवारी
16. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
17. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

18. श्री सुशील कुमार मोदी
19. डॉ. अमर पटनायक
20. श्री जी. वी. एल. नरसिंहा राव
21. श्री प्रमोद तिवारी

सचिवालय

1. श्री सिद्धार्थ महाजन - संयुक्त सचिव
2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन - निदेशक
3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा - अपर निदेशक

## भाग-एक

|    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|-----|
| 2. | XX | XX | XX | XX | XX | XX  |
|    | XX | XX | XX | XX | XX | XX. |

(तत्पश्चात् साक्षी सक्ष्य देकर चले गए।)

3. सर्वप्रथम सभापति ने, समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु लिया।

- (i) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं, सार्वजनिक उद्यम और निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर चौवनवां प्रतिवेदन।
- (ii) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर पचपनवां प्रतिवेदन।
- (iii) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर छप्पनवां प्रतिवेदन।
- (iv) योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर सतावनवां प्रतिवेदन।
- (v) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर अठावनवां प्रतिवेदन।

कुछ विचार-विमर्श के बाद, समिति ने अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदनों पर स्वीकार किया और उन्हें अंतिम रूप देने और प्रतिवेदनों को सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया।